रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 427] नई दिल्ली, सोमवार, जून 25, 2018/आषाढ़ 4, 1940
No. 427] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 25, 2018/ASHADHA 4, 1940

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून 2018

सा.का.नि. 584(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 को उक्त नियमों के अध्याय IVक के सिवाय तथा भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2017 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ – इन नियमों का नाम भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं – (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) "अधिनियम" से भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) अभिप्रेत है ;

(ख) "सलाहकार समिति" से अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन शासी निकाय द्वारा गठित सलाहकार समिति अभिप्रेत है ;

(ग) "अनुरूपता प्रमाणपत्र" से अभिप्रेत ब्यूरो अथवा नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र जो यह निरूपित करता हो कि वस्तु, प्रक्रिया, पद्धति, सेवा के अवधारण में मानक अथवा विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं और अनुरूपता निर्धारण का अनुपालन किया गया है ;

(घ) "शमन प्राधिकारी" से नियम 50 के उपनियम (1) के अधीन महानिदेशक द्वारा शमन प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत प्राधिकारी अभिप्रेत है।

(ड) "सलाहकार" से ऐसा विशेषज्ञ अथवा विशेषज्ञों का संगठन अभिप्रेत है जो मानक निर्धारण से संबंधित विशेष कार्य करता हो जिसके लिए ब्यूरो द्वारा शुल्क देय है ;

(च) "महानिदेशक" से ब्यूरो का महानिदेशक अभिप्रेत है;

(छ) "प्ररूप" से ब्यूरो द्वारा समय-समय पर यथानिर्दिष्ट प्ररूप अभिप्रेत है, यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयोजन हेतु कोई प्ररूप निर्दिष्ट किया गया हो तो वह प्ररूप मान्य होगा।

(ज) "अनुज्ञप्तिधारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति दी गई है;

(झ) "तकनीकी समिति" से अधिनियम के खंड 10 के उपखंड (3) के अधीन ब्यूरो द्वारा गठित समिति अभिप्रेत है जिसमें प्रभाग परिषद, अनुभागीय समिति, उप-समिति, पैनल कार्यकारी समूह अथवा अन्य कोई समिति शामिल है;

(ञ) "वर्ष" से अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाला और 31 मार्च को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है;

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्दों और पद जो परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे जो उनके उस अधिनियम में हैं।

3. शासी परिषद का गठन – (1) शासी परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात:-

(क) केन्द्रीय सरकार के उस मंत्रालय या विभाग का, जिसका ब्यूरो पर प्रशासनिक नियंत्रण है, मंत्रालय का प्रभारी मंत्री, जो ब्यूरो का पदेन अध्यक्ष होगा;

(ख) केन्द्रीय सरकार के उस मंत्रालय या विभाग में, जिसका ब्यूरो पर प्रशासनिक नियंत्रण है; राज्य मंत्री या उपमंत्री यदि कोई हो, वो ब्यूरो को पदेन उपाध्यक्ष होगा और जहां ऐसा कोई राज्य मंत्री या उपमंत्री न हो वहां ऐसा व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकार द्वारा ब्यूरो के उपाध्यक्ष के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाए;

(ग) केन्द्रीय सरकार के उस मंत्रालय या विभाग, जिसका ब्यूरो पर प्रशासनिक नियंत्रण है, का प्रभारी भारत सरकार का सचिव, पदेन;

(घ) ब्यूरो का महानिदेशक, पदेन;

(ङ) दो संसद सदस्य जिसमें एक लोकसभा से और एक राज्यसभा से होगा;

(च) तीन व्यक्ति जो ब्यूरो के हित में महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय और विभागों को प्रतिनिधित्व करते हों;

(छ) पांच व्यक्ति – राज्य सरकारों और प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र के पांच जोनों से एक व्यक्ति चक्रण आधार से;

(i) मंत्री परिषद वाले राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों के मामले में प्रभारी मंत्री अथवा

विभाग का सचिव जिसका गुणता और मानकों पर प्रशासनिक नियंत्रण हो;

(ii) बिना मंत्री परिषद के केन्द्र शासित क्षेत्रों के मामले में यथास्थिति प्रशासक अथवा मुख्य

कार्यकारी पार्षद;

(ज) ऐसे उपभोक्ता संगठनों के दो व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकार की दृष्टि में अपने कार्य में सक्रिय और प्रभावी हों अथवा सरकार की दृष्टि में उपभोक्ता हितों का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम हों;

(झ) एक व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकार के विचार में कृषकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम हो;

(ञ) उद्योग और व्यापार तथा उनके संघों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच व्यक्ति जिनका चुनाव निम्नलिखित प्रकार से हो :-

(i) अखिल भारतीय स्तर के तीन उद्योग संघों अथवा महासंघों के अध्यक्ष अथवा महानिदेशक अथवा महासचिव;

(ii) ब्यूरो के महत्तव के विषयों से संबंधित एक केन्द्रीय अथवा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के कार्यकारी निदेशक;

(iii) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से भिन्न किसी औद्योगिक संगठन का अध्यक्ष अथवा प्रबंध निदेशक जिसे गुणता के लिए राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हो;

(ट) ब्यूरो के महत्व के विषयों से संबंधित वैज्ञानिक और अनुसंधान संस्थानों, तकनीकी, शैक्षणिक और व्यावसायिक संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन व्यक्ति;

(ठ) ब्यूरो से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों से जुड़े नियामक प्राधिकरण अथवा निकायों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यक्ति;

(ड) एक व्यक्ति जो राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड अथवा निकायों का प्रतिनिधित्व करता हो।

व्याख्या: खंड (छ) के प्रयोजन हेतु राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों के पांच जोन निम्नलिखित होंगे:-

IndiaCode

उत्तर (1)	पूर्व (2)	पश्चिम (3)	दक्षिण (4)	उत्तर-पूर्व (5)
1. हिमाचल प्रदेश	1. पश्चिम बंगाल	1. गुजरात	1.आंध्र प्रदेश	1. असम
2. पंजाब	2. ओडिसा	2. महाराष्ट्र	2. तमिलनाडू	2. मेघालय
3. हरियाणा	3. बिहार	3. राजस्थान	3. कर्नाटक	3. त्रिपुरा
4. उत्तर प्रदेश	4. छत्तीसगढ़	4. मध्य प्रदेश	4. केरल	4. अरूणाचल प्रदेश
5. जम्मू–कश्मीर	5. झारखंड	5. गोवा	5. तेलंगाना	5. मणिपुर
6. त्तराखंड	6. सिक्किम	6. दमन और दियू	6.पुडुचेरी	6. मिजोरम
7. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली		7. दादरा और नागर हवेली	7. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	7. नागालैंड
8. चंडीगढ़			8. लक्षद्वीप द्वीप समूह	

(2) सदस्य का कार्यकाल, जिस आधार पर वह सदस्य बना है, की अवधि तक रहेगा ।

(3) शासी परिषद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जिसमें पर्यावरण नियंत्रण, ऊर्जा संरक्षण, आयात प्रतिस्थापन, प्रौद्योगिकी अंतरण शामिल है और उभरती प्रौद्योगिकी के अन्य क्षेत्रों में सहायता देने अथवा सलाह देने के लिए व्यक्तियों को जोड़ सकता है जो पंद्रह से अधिक न हो।

4. सदस्यों का कार्यकाल – (1) नियम 3 के उपनियम (1) के खंड (ङ) से खंड (ङ) के अधीन नियुक्त सदस्यों की कार्य अवधि दो वर्ष की होगी और वे पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे।

(2) नियम 3 के उपनियम (1) के अधीन नियुक्त कोई सदस्य शासी परिषद की सदस्यता से त्यागपत्र देना चाहता हो तो वह केन्द्रीय सरकार को अपने हस्ताक्षर से अपना त्यागपत्र भेजेगा और ऐसा त्यागपत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा उसकी स्वीकृति की तारीख से या केन्द्रीय सरकार द्वारा उसकी प्राप्ति की तारीख से एक माह की अवधि की समाप्ति पर, जो भी पूर्व हो, प्रभावी होगा।

(3) उपनियम (2) के अधीन या अन्यथा किसी सदस्य के त्यागपत्र के कारण कोई स्थान रिक्त होने पर केन्द्रीय सरकार उन व्यक्तियों के प्रवर्ग से नियुक्ति, जिससे वह व्यक्ति संबंधित या जिसका पद रिक्त हुआ है, से रिक्ति को भरेगी और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति उस सदस्य की पदावधि की शेष अवधि में पद धारित होगा, जिसके स्थान पर उसे नियुक्त किया गया है।

(4) कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य हो जाएगा या उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा सदस्यता से हटा लिया जाएगा, यदि उसे -

(क) किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया, अपराध के लिए कारावास का दंड दिया गया हो जो कि केन्द्रीय सरकार की दृष्टि में नैतिक रूप से भ्रष्ट आचरण हो; अथवा

(ख) वह अनुन्मोचित दिवालिया है ; अथवा

(ग) विकृत चित् का है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो ; अथवा

(घ) सरकार की या सरकार के स्वामित्व में या उसके द्वारा नियंत्रित निगमित निकाय की सेवा से हटा दिया गया हो या पदच्युत कर दिया गया हो ; अथवा

(ङ) केन्द्रीय सरकार की दृष्टि में ब्यूरो में ऐसा वित्तीय या अन्य हित है जिससे उसके सदस्य के रूप मे कृत्यों के निर्वहन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

परन्तु, किसी भी सदस्य को इस आधार पर कि वह खंड (ङ) के अधीन उल्लिखित अयोग्यता के अधीन आ गया है, तब तक नहीं हटाया जाएगा, जब तक कि उसे इस मामले मे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो।

5. शासी परिषद की कार्यवाहियां - (1) अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेगा :

IndiaCode

परंतु यह कि, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्य अपने में से किसी व्यक्ति को बैठक की अध्यक्षता करने के लिए निर्वाचित करेंगे।

(2) शासी परिषद की प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बैठक होगी :

परंतु यह कि अध्यक्ष अपने विवेकाधिकार से किसी वर्ष में, यदि वह आवश्यक समझता है, तो एक से अधिक बैठक कर सकता है।

(3) शासी परिषद की प्रत्येक बैठक के लिए प्रत्येक सदस्य को जारी करने की तारीख से कम से कम 21 दिन पहले की सूचना सामान्यत: दी जाएगी।

यदि आपात् बैठक संयोजित करने की आवश्यकता हो तो प्रत्येक सदस्य को कम से कम 7 दिन पहले की सूचना दी जाएगी।

(4) शासी परिषद की बैठक की प्रत्येक सूचना में बैठक का स्थान, तारीख और समय विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) अध्यक्ष बैठक की कार्यसूची तैयार करवाएगा और बैठक से कम से कम सात दिन पूर्व कार्यसूची परिचालित करवाएगा :

परंतु, आपात् बैठक किए जाने पर बैठक की कार्यसूची बैठक में सदस्यो को परिचालित की जा सकेगी।

(6) सात सदस्य गणपूर्ति बनाएगा ।

किन्तु, यदि कोई बैठक कोरम न होने के कारण स्थगित होती है तो स्थगित बैठक के कोरम को ध्यान में न रखते हुए कार्यवाही करने के लिए बैठक की मूल तिथि से सात दिन के भीतर बैठक की जाएगी।

(7) अध्यक्ष सहित प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा और शासी परिषद द्वारा निर्णय लिए जाने वाले किसी प्रश्न पर मत समान होने पर ऐसी बैठक की अध्यक्षता करने वाले अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य का इसके अतिरिक्त एक निर्णायक मत होगा।

(8) प्रत्येक बैठक की कार्यवहियां शासी परिषद के प्रत्येक सदस्य को परिचालित की जाएगी और अगली बैठक में उपांतरण सहित या रहित उसकी पुष्टि की जाएगी।

6. कार्यकारिणी समिति – (1) कार्यकारिणी समिति ऐसे कृत्यों, शाक्तियों और कर्त्तव्यों का पालन, प्रयोग और निर्वहन करेगी, जो उसे शासी परिषद द्वारा प्रत्यायोजित किए जाएं।

(2) कार्यकारिणी समिति मे महानिदेशक, पदेन अध्यक्ष के रूप में और केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से शासी परिषद् द्वारा नियुक्त निम्नलिखित श्रेणी का प्रतिनिधित्व करने वाले दस अन्य सदस्य होंगे :-

(i) ब्यूरो के प्रशासनिक नियंत्रण वाले भारत सरकार के मंत्रालय अथवा विभाग में विशेष सचिव अथवा अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार;

(ii) ब्यूरो के प्रशासनिक नियंत्रण वाले भारत सरकार के मंत्रालय अथवा विभाग में विशेष सचिव अथवा अपर सचिव या संयुक्त सचिव;

(iii) ब्यूरो के प्रशासनिक नियंत्रण वाले मंत्रालय अथवा विभाग को छोड़ कर केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों अथवा विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्येक दो व्यक्ति;

(iv) उपभोक्ता संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यक्ति;

(v) उद्योग, व्यापार और उनके संघों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यक्ति;

(vi) शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्ति;

(vii) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और तकनीकी अथवा व्यावसायिक संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्ति।

(3) उपनियम (2) के अधीन नियुक्त कार्यकारी समिति के सदस्यों की पदावधि दो वर्ष की होगी और वे पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे।

(4) उपनियम (2) के अधीन नियुक्त कोई सदस्य कार्यकारिणी समिति की सदस्यता से त्यागपत्र देना चाहता हो तो वह महानिदेशक को अपने हस्ताक्षर से अपना त्यागपत्र भेजेगा और ऐसा त्यागपत्र महानिदेशक द्वारा उसकी स्वीकृति की तारीख से या महानिदेशक द्वारा उसकी प्राप्ति की तारीख से एक माह की अवधि की समाप्ति पर, जो भी पूर्व हो, प्रभावी होगा।

(5) कार्यकारिणी समिति के किसी सदस्य के त्यागपत्र, सदस्यता समाप्त होने इत्यादि के कारण रिक्ति होने पर, ऐसा होने की तिथि के तीन माह के भीतर ब्यूरो द्वारा केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से रिक्ति भरी जाएगी।

(6) कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार होगी।

IndiaCode

(7) कार्यकारिणी समिति की प्रत्येक बैठक, प्रत्येक सदस्य को लिखित रूप से जारी करने की तारीख से 14 दिन अन्यून की सूचना देकर बुलाई जाएगी ।

परंतु, आपात् बैठक प्रत्येक सदस्य को तीन दिनों से अन्यून का नोटिस देकर आयोजित की जा सकती है ।

(8) कार्यकारी समिति की बैठक के प्रत्येक नोटिस में बैठक का स्थान, दिन एवं समय विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(9) कार्यकारी समिति के पदेन अध्यक्ष द्वारा बैठक की कार्यसूची तैयार की जायेगी, जिसे बैठक से सात दिन पूर्व सदस्यों को परिचालित कराया जायेगा ।

किंतु, जब भी आपात् बैठक बुलाई जाती है तो ऐसी बैठक के लिए कार्यसूची बैठक में ही सदस्यों के मध्य परिचालित की जाये ।

(10) कार्यकारी समिति की बैठक की गणपूर्ति चार की होगी ।

(11) प्रत्येक समिति की कार्यवाहियाँ कार्यकारी समिति के प्रत्येक सदस्य को परिचालित की जाएंगीं, अगली बैठक में उपांतरणों सहित या उपांतरण रहित जिसकी पुष्टि की जायेगी ।

7. शासी परिषद् एवं कार्यकारिणी समिति सदस्यों को यात्रा एवं दैनिक भत्ते :

(1) शासी परिषद् एवं कार्यकारिणी समिति से जुड़े सदस्यों एवं व्यक्तियों तथा केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ शासित क्षेत्र, सांविधिक एवं स्वायत निकायों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (कार्यकारी समिति द्वारा विशेषत: अनुमोदित को छोड़कर), व्यापार, उद्योग एवं उनके संघों के प्रतिनिधित्व करने वाले कार्यकारी सदस्य, ब्यूरो की निधियों से किसी प्रकार के यात्रा एवं दैनिक भत्ते आहरित करने के हकदार नहीं होंगे ।

(2) शासी परिषद् एवं कार्यकारिणी समिति से जुड़े सदस्य एवं व्यक्ति तथा उपनियम (1) में निर्दिष्ट सदस्यों को छोड़कर, कार्यकारी समिति के सदस्यों के लिए महानिदेशक की पूर्व सहमति से शासी परिषद् एवं कार्यकारी समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए तथा शासी परिषद् या कार्यकारी समिति द्वारा यथा समनुदेशित किसी प्रकार के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए देश में यात्रा करते समय यात्रा एवं दैनिक भत्ते ब्यूरो से अनुज्ञेय होंगे ।

(3) उपनियम (2) में आने वाले सदस्यों एवं व्यक्तियों के लिए स्वीकार्य यात्रा एवं दैनिक भत्तों की दरें केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित समितियों की बैठकों में उपस्थित गैर-सरकारी सदस्यों के लिए स्वीकार्य, के समान ही रहेंगी ।

(4) कोई सदस्य, जो संसद सदस्य हो, वह प्रतिकरात्मक भत्तों के अलावा किसी प्रकार के भत्ते का अधिकारी नहीं होगा, जैसा कि संसद (गैर-अर्हता रोकथाम) अधिनियम, 1959 (1959 का 10) की धारा 2 के खंड (क) में परिभाषित है :

परंतु, अंत:सत्र अवधि के दौरान आयोजित बैठक के लिए ऐसा सदस्य ऐसे भत्तों का हकदार होगा ।

स्पष्टीकरण – इस उपनियम के प्रयोजन के लिए 'अंत:सत्र अवधि' से संसद के सदन, जिसका वह एक सदस्य है, के स्थगन तथा उस सदन की पुन:शुरूआत के बीच का अंतराल अभिप्रेत है।

8. महानिदेशक की नियुक्ति

(1) धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन महानिदेशक की नियुक्ति के लिए नामों के पैनल की सिफारिश करने के लिए एक चयन समिति होगी ।

(2) चयन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : अर्थात्

(i) ब्यूरो का प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाला मंत्रालय या विभाग का सचिव,

भारत सरकार	–	अध्यक्ष
(ii) सचिव, भारत सरकार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	-	सदस्य
(iii) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में भारत सरकार का नामनिर्दिष्ट व्यक्ति	-	सदस्य
(iv) ऐसा प्रतिष्ठित बाहरी विशेषज्ञ, जो सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए	-	सदस्य

(3) चयन समिति ऐसे उपयुक्त अभ्यर्थियों के संबंध में, जिनके अंतर्गत ब्यूरो के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं, विचार करेगी, जिनके पास निम्नलिखित अपेक्षित अर्हताएँ और अनुभव हैं, अर्थात् :

(क) (i) अनिवार्य अर्हताएँ : इंजीनियरी या प्रोद्योगिकी में प्रथम श्रेणी उपाधि या विज्ञान की किसी शाखा में स्नातकोत्तर में प्रथम श्रेणी उपाधि;

(ii) वांछनीय अर्हताएँ : इंजीनियरी या प्रोद्योगिकी की शाखा में स्नातकोत्तर डिग्री या विज्ञान या इंजीनियरिंग की किसी शाखा में डॉक्टरेट;

(ख) अनुभव : सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या स्वायत्त निकायों या निजी क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्रों में कम से कम 25 वर्ष का सम्मिलित अनुभव :

(i) औद्योगिक इंजीनियरी, डिजाइन या अनुसंधान;

(ii) मानकीकरण;

(iii) क्वालिटी नियंत्रण;

(iv) आधारिक वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुसंधान (प्रयोगशाला में अनुसंधान अनुभव के मामले में, जो राष्ट्रीय रूप से ख्यातिलब्ध हो)

(v) प्रशासन ।

परंतु यह कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिग्री या शुद्ध विज्ञान या इंजीनियरिंग की किसी शाखा में डॉक्टरेट के साथ तेइस वर्षों का अनुभव है, पात्र होंगे ।

परंतु यह और कि अभ्यर्थी सरकारी कर्मचारी हो, वह खंड (क) एवं (ख) में यथानिर्दिष्ट शैक्षिक अर्हता एवं अनुभव रखता हो तथा भारत सरकार में अपर सचिव के समकक्ष पद के लिए प्रोन्नति के लिए पात्र भी हो;

परंतु यह भी कि यदि अभ्यर्थी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत निकाय का कर्मचारी हो, तो वह खंड (क) एवं (ख) में यथानिर्दिष्ट शैक्षिक अर्हता एवं अनुभव रखता हो तथा उसने भारत सरकार में संयुक्त सचिव के समकक्ष पद पर नियमित रूप से कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो । निजी क्षेत्र में कार्यरत अभ्यर्थी के मामले में वरिष्ठ प्रबंधन स्तरीय कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो ।

परंतु यह भी कि आवेदन पत्रों की प्राप्ति की समापन/अंतिम तिथि को, अभ्यर्थी की अधिवर्षिता से पूर्व न्यूनतम दो वर्ष की सेवा बाकी हो ।

(4) चयन समिति की सिफारिशें महानिदेशक की नियुक्ति हेतु विनिश्चय करने के लिए केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएंगी ।

(5) उपनियम (3) में किसी बात के होते हुए भी, यदि केन्द्रीय सरकार यह आवश्यक समझती है कि उस योजना में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अधीन महानिदेशक के पद के लिए एक उपयुक्त अधिकारी को जनहित में नियुक्त किया जा सकता है।

9. महानिदेशक की पदावधि - महानिदेशक तीन वर्ष की अवधि तक या साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, अपना पद धारण करेगा :

परंतु यह कि केन्द्रीय सरकार द्वारा महानिदेशक की पदावधि दो वर्ष से अनधिक अवधि तक या साठ साल की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, बढ़ायी जा सकेगी :

परंतु यह और कि जहाँ केन्द्रीय सरकार का समाधान हो कि साठ वर्ष की आयु पूरी कर जाने वाले महानिदेशक की पुन:नियुक्ति ब्यूरो के हित में है, तो इस कारण को लिखित में अभिलिखित करते हुए उसे आगे दो वर्षों तक के लिए पुन:नियुक्त किया जा सकता है ।

10. वेतन एवं भत्ते – महानिदेशक का पद भारत सरकार के अपर सचिव के पद के समकक्ष होगा और अधिनियम या इन नियमों के अधीन यथा उपलब्ध सभी अन्य भत्तों का हकदार होगा :

परंतु यह कि केन्द्रीय सरकार के अवधि, स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अधिकारी विदेश यात्रा की दशा में विदेशी यात्रा भत्ते या दैनिक भत्ते नियमों से ब्यूरो के विनियमों द्वारा शासित होंगे, जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समतुल्य प्रास्थिति या अन्य को लागू हो ।

11. स्टाफ कार – (1) ब्यूरो के महानिदेशक शासकीय प्रयोजनों के लिए जिनके अंतर्गत निवास स्थान से कार्यालय और कार्यालय से निवास स्थान की यात्रा है, स्टाफ कार का मुफ्त प्रयोग करने का हकदार होगा ।

(2) उन्हें वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार राशि के भुगतान पर पाँच सौ किलोमीटर तक प्रतिमाह कर्तव्येतर यात्राओं के लिए स्टाफ कार (सोलह होर्स पॉवर तक की कार) का प्रयोग करने की अनुमति होगी ।

12. त्याग पत्र – महानिदेशक अपनी अवधि की समाप्ति से पूर्व किसी भी समय तीन माह का नोटिस देकर केन्द्रीय सरकार को अपना त्याग पत्र दे सकता है :

परंतु यह कि केन्द्रीय सरकार जनहित में महानिदेशक द्वारा दिए गए त्याग पत्र को अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रखती है :

परंतु यह भी कि सरकार विशेष परिस्थितियों में तीन माह के वेतन का भुगतान करने एवं नोटिस अवधि के स्थान पर भत्तों का भुगतान करके तीन माह के तय समय से छूट दे सकती है ।

13. सेवा की अन्य शर्तें – कार्यभार ग्रहण समय, अर्जित अवकाश, चिकित्सा लाभ, सेवानिवृत्ति लाभ, एवं अवकाश यात्रा रियायत की शर्तों के संबंध में, यदि अभ्यर्थी एक सरकारी कर्मचारी है तो समकक्ष स्तर के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी की पात्रता के अनुसार हकदार होंगे तथा अभ्यर्थी निजी क्षेत्र उपक्रम या स्वायत निकाय या प्राइवेट क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी हो तो ब्यूरो के कर्मचारियों संबंधी अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा वे शासित होंगे ।

14. शिथिल करने की शक्ति – जहाँ कहीं केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो लिखित में इस कारण को अभिलिखित कर महानिदेशक की नियुक्ति एवं सेवा शर्तों एवं निबंधनों से संबंधित नियमों के उपबंधों में छूट दी जा सकती है ।

15. भारतीय मानकों की स्थापना – (1) ब्यूरो किसी भी वस्तु, सामान, प्रक्रिया, पद्धति या सेवा के संबंध में भारतीय मानक स्थापित करेगा और पणधारकों के परामर्श से यथा आवश्यक स्थापित ऐसे भारतीय मानकों को पुनर्पुष्ट, संशोधित, पुनरीक्षित करेगा या वापस लेगा, जिसमें उपभोक्ता, विनियामक एवं अन्य सरकारी निकायों, उद्योग, परीक्षण प्रयोगशालाएँ या अंशांकन प्रयोगशालाओं, वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीय एवं ब्यूरो की समितियों के सदस्यों जैसे विभिन्न हितों के प्रतिनिधित्व शामिल हो सकते हैं :

परंतु यह कि जहाँ एक मानक केन्द्रीय सरकार या विनियामक के अनुरोध पर बनाया जा रहा है, तो वह राष्ट्रीय नीति से निर्धारित या प्रभावित हो तो केन्द्रीय सरकार या संबंधित नियंत्रक को यह सुनिश्चित करने के लिए कि मानक ऐसी नीति से संगत है, के लिए परामर्श किया जाएगा:

परंतु यह भी कि भारतीय मानक संस्था एवं अधिनियम के आरंभ या इसके अधीन बनाए गए नियम या विनियमों से पहले भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन बने भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा स्थापित किसी भी भारतीय मानक को अधिनियम के उपबंधों या इस अधिनियम की धारा 39 के अधीन बनाए गए इन नियमों या विनियमों के अधीन बनाया गया समझा जाएगा ।

(2) सभी भारतीय मानकों, उनके परीक्षणों, संशोधनों और वापसी, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा स्थापित की जाएगी ।

16. **प्रभाग परिषद्** – ब्यूरो किसी वस्तु, सामान, प्रक्रिया, पद्धति या सेवा के संबंध में भारतीय मानक के निर्माण के संबंध में विशेषज्ञों की तकनीकी समितियाँ बनाएगा, जिसे प्रभाग परिषद् के रूप में जाना जाएगा ।

17. **अनुभाग समितियाँ** – (1) जैसा कि इस प्रयोजनार्थ आवश्यक समझा जाए, भारतीय मानक के निर्धारण कार्यों के लिए अनुभाग परिषद् ऐसी कई विषय समितियाँ गठित कर सकती है ।

(2) प्रत्येक अनुभाग समिति में ब्यूरो के अधिकारी एवं उपभोक्ता, विनियामक एवं अन्य सरकारी निकायों, उद्योग, परीक्षण संगठनों, प्रयोगशालाओं या अंशांकन प्रयोगशालाओं, वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ व्यक्तिगत हैसियत में जैसे विभिन्न हितों के प्रतिनिधि एवं उपभोक्ता हित से जुड़े व्यक्ति सम्मिलित होंगे ।

18. **उपसमितियाँ, पैनल एवं कार्यकारी समूह** – अनुभागीय समिति जैसा आवश्यक समझे, अपने कार्यों के क्षेत्रों के लिए ऐसी उप-समितियाँ, पैनल या कार्यकारी समूह बना सकती है और यह अपने विषय क्षेत्र, संरचना तथा अपनी गतिविधियों का समन्वय परिभाषित करेगी ।

19. तकनीकी समितियों का कार्यकाल – (1) विभाग परिषदों, विषय समितियों एवं उपसमितियों को प्रत्येक तीन वर्षों में एक बार पुन: गठित किया जाएगा ।

परंतु यह कि पैनल एवं कार्यकारी समूहों की अवधि उनकी संबद्ध प्रभाग परिषदों द्वारा निर्णय के अनुसार रहेगी, जिनके अधीन उन्हें गठित किया गया था ।

(2) प्रभाग परिषद् को उद्योगों, प्रौद्योगिकियों, सेवाओं एवं अन्य विषयों के परिभाषित क्षेत्रों में गठित किया जाएगा एवं ये ब्यूरो के अधिकारी एवं उपभोक्ता, विनियामक एवं अन्य सरकारी निकायों, उद्योग, परीक्षण संगठनों, प्रयोगशालाओं या

अंशांकन प्रयोगशालाओं, वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ व्यक्तिगत हैसियत से जैसे विभिन्न हितों के प्रतिनिधि एवं उपभोक्ता हित से जुड़े व्यक्ति सम्मिलित होंगे ।

(3) विभाग परिषद् निम्नलिखित कार्य करेगी :

(i) राष्ट्रीय आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए उनके अपने क्षेत्रों में भारतीय मानक के निर्धारण के लिए उठाए गए विषय क्षेत्रों पर सलाह देना;

(ii) कार्यों के लिए प्रस्तावों को अनुमोदित एवं कार्यों की सुपुर्दगी के लिए प्राथमिकता निर्धारित करना;

(iii) मानकों के निर्धारण के कार्य को चलाने के लिए संबंधित अनुभागीय समितियों को निर्देश देना;

(iv) भारतीय मानकों को बनाने एवं उनके पुनरीक्षण हेतु आवश्यक अनुसंधान एवं विकास से संबंधित मामलों पर सलाह देना;

(v) प्रभाग परिषद् के कार्यों के क्षेत्र से संबंधित मानक निर्धारण के अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं उनकी समितियों के कार्यों का अध्ययन करना एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानकीकरण गतिविधियों में सहभागिता बढ़ाने एवं तरीकों संबंधी सिफारिश करना;

(vi) स्थापित मानकों के कार्यान्वयन एवं भारतीय मानकों संबंधी संवर्द्धन के लिए सलाह देना;

(vii) गतिविधि रिपोर्टें प्राप्त करना तथा उन्हें निपटाना तथा उनपर संबंधित मानकों का शासी परिषद् को सिफारिशें करना जिसमें शासी परिषद् का विनिश्चय आवश्यक है;

(viii) अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ग) के तहत गठित शासी परिषद् एवं मानक सलाहकार समिति द्वारा यथावश्यक विशेषत: इससे/संदर्भित कार्य पूर्ण करना ।

20. तकनीकी समिति सदस्यों को यात्रा एवं दैनिक भत्ते :

(1) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ शासित क्षेत्र, सांविधानिक एवं स्वायत निकायों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (कार्यकारी समिति द्वारा विशेषत: अनुमोदित को छोड़कर), व्यापार, उद्योग एवं उनके संघों का प्रतिनिधित्व करने वाले इन नियमों के अधीन गठित तकनीकी समितियों के सदस्य, ब्यूरो की निधियों से किसी प्रकार के यात्रा एवं दैनिक भत्ते लेने के हकदार नहीं रहेंगे ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट को छोड़कर, इन नियमों के तहत गठित तकनीकी समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य के लिए महानिदेशक की पूर्व सहमति से शासी परिषद् एवं कार्यकारी समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए तथा तकनीकी समिति के किन्हीं कर्तव्यों के निर्वहन के लिए देश की सीमा में यात्रा करते समय यात्रा एवं दैनिक भत्ते ब्यूरो से अनुज्ञेय होंगे ।

(3) उपनियम (2) द्वारा आवरित सदस्यों के लिए अनुज्ञेय यात्रा एवं दैनिक भत्तों की दरें केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित समितियों की बैठकों में उपस्थित गैर-सरकारी सदस्यों के लिए अनुज्ञेय के समान ही रहेंगे ।

21. परामर्शदाताओं को नियुक्त करने की शर्तें एवं निबंधन – (1) ब्यूरो समय-समय पर इस नियम के अधीन गठित समितियों को सहभागिता के लिए यथा-आवश्यक ऐसे परामर्शदाताओं को नियुक्त कर सकता है ।

(2) तकनीकी समितियों के कार्य और भारतीय मानक ब्यूरो के स्थापन संबंधी कार्य में परामर्शदाताओं को नियुक्त करने के लिए निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो कार्यकारिणी समिति द्वारा विनिश्चित की जा सकेगी ।

22. भारतीय मानकों की स्थापना की प्रक्रिया –

(1) कोई व्यक्ति, केन्द्रीय सरकार का मंत्रालय, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन, उपभोक्ता संगठन, औद्योगिक इकाई, उद्योग संघ, व्यावसायिक निकाय, शासी परिषद् का सदस्य, तकनीकी समिति का सदस्य होने के कारण अथवा कोई व्यक्ति, जो भारतीय मानक की स्थापना के लिए अथवा संशोधन के लिए अथवा पुनरीक्षण करने के लिए अथवा स्थापित भारतीय मानक को वापस लेने का प्रस्ताव करता है, तो इस प्रयोजन हेतु प्रस्ताव को लिखित में ब्यूरो को भेज सकता है ।

(2) उपनियम (1) के अंतर्गत प्रस्ताव की प्राप्ति पर ब्यूरो प्रस्ताव को संबंधित प्रभाग परिषद् को समनुदेशित करेगा ।

(3) प्रभाग परिषद् अपने विचार-विमर्श अथवा संबंधित हितों, जिसमें मानकीकरण की आवश्यकता स्थापित की गई है, सहित जाँच और परामर्श के परिणामस्वरूप समाधान होने पर इस प्रयोजन के लिए गठित अनुभागीय समिति को मानक निर्धारण का कार्य सौंपेगा :

परंतु, अगर भारतीय मानक को स्थापित करने के प्रस्ताव को विशेष विचार के उपरांत अस्वीकृत कर दिया गया है, तो प्रस्तावक को उस निर्णय के संबंध में सूचित किया जाएगा।

(4) अनुभागीय समिति द्वारा तैयार किए गए भारतीय मानक को मसौदे के रूप में जारी किया जाएगा और इसके सुधार के लिए विभिन्न हितों से संबंधित व्यक्ति को एक माह से अनधिक अवधि के लिए क्रांतिक पुनरीक्षा और सुझावों हेतु विस्तृत परिचालन किया जाएगा :

परंतु यह कि विस्तृत परिचालन को छोड़ा जा सकता है, यदि अनुभागीय समिति का समाधान है कि विषय तत्काल अथवा अविवादपूर्ण है ।

(5) उपनियम (4) के अधीन जारी किए गए भारतीय मानक मसौदों को संबंधित विषय समिति द्वारा उन प्राप्त की जाने वाली सम्मतियों पर विशेष विचार के उपरांत अंतिम रूप दिया जाएगा और इस अंतिम रूप दिए गए मसौदे को मानक के रूप में अपनाने के लिए संबंधित प्रभाग परिषद् के अध्यक्ष को प्रेषित किया जाएगा ।

(6) इस तरह उपनियम (5) के अधीन ग्रहण किया मानक ब्यूरो द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

23. भारतीय मानकों का पुनि्वलोकन – ब्यूरो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सभी स्थापित भारतीय मानकों का पुनरीक्षण, संशोधन, पुनर्पुष्ट अथवा ऐसे मानकों को वापस लेने की आवश्यकता को ज्ञात करने के लिए पाँच वर्ष में एक बार आवधिक रूप से पुनरीक्षण करेगा ।

परंतु यह कि स्थापित भारतीय मानक के वापसी की आवश्यकता का विनिश्चय संबद्ध अनुभागीय समिति की सिफारिशों पर तत्संबंधी प्रभाग परिषद् द्वारा लिया जाए :

परंतु यह और कि स्थापित भारतीय मानकों में छोटे-मोटे संशोधनों या त्रुटियों या विलोप के संशोधन की प्रकृति में संशोधन से संबंधित प्रस्ताव, ब्यूरो की संबद्ध अनुभागीय समिति को भेजे बिना अधिसूचित किया जा सकता है :

परन्तु यह और कि ब्यूरो अधिसूचना द्वारा भारतीय मानक के प्रयोजनों, ऐसे में इसकी दृष्टि में ऐसे बनाये गये अधिनियम और संशोधन के किसी उद्देश्य के शीघ्र पूर्णता के लिए आवश्यक है, अस्थाई रूप से संशोधन करने की शक्तियाँ प्राप्त है, नियमित किया जाएगा, अगर संबद्ध विषय समिति जाँच पर ऐसे संशोधित मानकों को अधिनियम की तिथि से छह माह के भीतर अनुमोदत किया है ।

24. **भारतीय मानक कतिपय मामलों में बंधनकारी** होगा – (1) उपनियम (2) में अन्यथा उपबंधित है, भारतीय मानक स्वैच्छिक है और उनका कार्यान्वयन संबद्ध पार्टियों द्वारा ग्रहण करने पर निर्भर है ।

(2) भारतीय मानक बंधनकारी होगा, यदि यह संविदा में अनुबंधित है अथवा विधान में संदर्भित है अथवा सरकार के विनिर्दिष्ट आदेशों द्वारा अनिवार्य किया गया है ।

25. प्रकाशन – ब्यूरो द्वारा स्थापित भारतीय मानक, उनके पुनरीक्षण और संशोधन प्रकाशित किए जायेंगे तथा उनकी प्रतियाँ किसी भी रूप में ब्यूरो द्वारा निर्धारित की जा सकती है, बिक्री के लिए ऐसे मूल्य पर उपलब्ध कराई जायेगी, जिसका अवधारण ब्यूरो द्वारा किया जाएगा ।

26. मानक संवर्धन – ब्यूरो भारतीय मानकों का ग्रहण उपभोक्ता, व्यापार, उद्योग, सरकार और अन्य हित द्वारा ऐसी रीति से जो आवश्यक समझा जा सकता है, द्वारा संवर्धन कर सकता है ।

27. अनंतिम भारतीय मानकों की स्थापना की प्रक्रिया – (1) जहाँ एक प्रस्ताव नई प्रौद्योगिकी के संबंध में है जिसके संदर्भ में इसकी तकनीकी शुद्धता स्थापित नहीं की जा सकती है, ब्यूरो प्रभाग परिषद् को नियम 22 में अधिकथित प्रक्रिया के अस्थाई भारतीय मानक तैयार करने के लिए निमित कर सकता है ।

(2) इस नियम के अधीन तैयार **अनंतिम** भारतीय मानक संबद्ध प्रभाग परिषद् के अध्यक्ष द्वारा ग्रहित के उपरांत, बिना विस्तृत परिचालन के अस्थाई भारतीय मानक के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है ।

(3) **अनंतिम** भारतीय मानकों के प्राक्कथन में निम्नलिखित होगा, अर्थात् :-

(i) **अनंतिम** भारतीय मानक को तैयार करने की आवश्यकता ;

(ii) इसके अनुप्रयोग का विषयक्षेत्र ; और

(iii) इसकी विधि मान्यता की अवधि :

परंतु यह कि उपनियम (2) के अधीन ऐसे अधिसूचित किए गए अनंतिम भारतीय मानक दो वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होंगे, जैसा कि ब्यूरो द्वारा अनुभागीय समिति की सिफारिशों पर निर्धारित किया जा सकता है और दो वर्षों से अधिक विस्तृत नहीं किया जा सकता है ।

(4) अस्थाई भारतीय मानक को मानक मुहर के लिए प्रयोग नहीं लाया जा सकता है ।

(5) उपनियम (2) के अंतर्गत ऐसे अनंतिम भारतीय मानक की जाँच, विधिमान्य अवधि की समाप्ति से पूर्व संबद्ध विषय समिति द्वारा की जायेगी और इसे नियमित मानक के रूप में स्थापित किया जाएगा ।

परंतु यह कि अगर विषय समिति की यह राय है कि ऐसे मानक नियमित मानक के रूप में उपातंरण सहित अथवा रहित स्थापित नहीं किया जाना चाहिए, तब ऐसा अधिसूचित अनंतिम भारतीय मानक इसकी विधिमान्य अवधि के बाद व्यपगत हो जायेगा ।

28. भारतीय मानकों की समवर्ती रनिंग – (1) महानिदेशक एक भारतीय मानक के दो पाठ की समवर्ती रनिंग की अनुमति दे सकता है और ऐसी समवर्ती रनिंग की अवधि भी निश्चित कर सकता है ।

(2) महानिदेशक भारतीय मानक और इसके किसी भी संशोधन की समवर्ती रनिंग की अनुमति दे सकता है और ऐसी समवर्ती रनिंग की अवधि भी निश्चित कर सकता है ।

29. अन्य मानकों को भारतीय मानकों के रूप में अपनाना – (1) ब्यूरो किसी सामान, वस्तु, प्रक्रिया, पद्धति अथवा सेवा के संबंध में भारत में अथवा भारत से बाहर किसी अन्य संस्था द्वारा स्थापित किसी मानक को भारतीय मानक के रूप में नियम 22 में अभिनामित प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक उपांतरणों सहित अपना सकता है :

परंतु यह कि कोई भी भारतीय मानक भारतीय मानक संस्था द्वारा अपनाया गया और भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन स्थापित हो, तो अधिनियम के उपबंधों अथवा इन नियमों अथवा अधिनियम की धारा 39 के अधीन बने विनियम के अधीन अपनाया माना जाएगा।

(2) ऐसे भारतीय मानकों के रूप में अपनाए गए मानक, ब्यूरो द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे ।

30. मानकीकरण में कार्यरत संस्थाओं की मान्यता अथवा प्रत्यायन :

मानकीकरण में कार्यरत भारत अथवा भारत से बाहर किसी संस्था की मान्यता अथवा प्रत्यायन के लिए निबंधन और शर्तें कार्यकारिणी समिति द्वारा विनिश्चित की जाएंगी ।

31. मानक चिह्न – (1) ब्यूरो द्वारा राजपत्र में मानक चिह्न प्रकाशित की जाएगी ।

(2) भारतीय मानक संस्था और भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन स्थापित भारतीय मानक संस्था और भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा स्थापित और अधिसूचित मानक मुहर, जब तक यह ब्यूरो द्वारा संशोधित अथवा निरस्त नहीं किया जाता है, विधिमान्य माना जाएगा ।

32. प्रयोगशालाओं का स्थापन, रखरखाव और मान्यता – (1) ब्यूरो द्वारा स्थापित और रखरखाव की गई प्रयोगशालाएँ निम्नलिखित होंगी :

(क) ब्यूरो की अनुरूपता मूल्यांकन योजनाओं के संबंध में नमूनों का परीक्षण करना;

(ख) भारतीय मानकों को विकसित करने और पुनरीक्षित करने तथा गुणता मूल्यांकन अध्ययनों के लिए डाटा एकत्रित करने के लिए अनुसंधान और विकास जाँच अथवा परीक्षण करना;

(ग) समय-समय पर ब्यूरो द्वारा अभिकथित निर्धारित ऐसी निबंधन एवं शर्तों पर उद्योगों के गुणता सुधार के लिए सहायी सेवाएँ प्रदान करना; और

(घ) ऐसे अन्य कार्य करना, जो ब्यूरो के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं ।

(2) ब्यूरो अनुरूपता मूल्यांकन के संबंध में नमूनों के परीक्षण करने के लिए भारत अथवा भारत से बाहर किसी प्रयोगशाला को मान्यता दे सकता है और ऐसे अन्य कार्य जैसे कि ब्यूरो इसे सुपुर्द कर सकता है ।

(3) ब्यूरो मान्यता, निलम्बन अथवा वापस लेना, रोकना/निरस्त अथवा नवीकरण, प्रयोगशालाओं को मान्यता के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत जारी कर सकता है ।

(4) ब्यूरो इसके द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं द्वारा सुसंगत भारतीय मानकों के संबंध में वस्तुओं अथवा प्रक्रमों के नमूने के परीक्षण के लिए रिकार्ड का रखरखाव करेगा ।

33. अभिकर्ता की नियुक्ति - (1) ब्यूरो भारत अथवा भारत से बाहर किसी व्यक्ति अथवा प्रयोगशाला अथवा संगठन को अपनी ओर से निम्नलिखित में से किसी एक अथवा अधिक कार्यों को करने के लिए अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है, अर्थात् :-

(क) मानक मुहर का उपयोग अनुमत करने के लिए भारत या भारत से बाहर निर्माता के परिसर का निरीक्षण करना अथवा अनुरूपता के प्रमाण पत्र की मंजूरी के लिए;

(ख) भारतीय मानकों की उनके अनुरूपता के लिए उत्पादों के नमूनों का परीक्षण करना;

(ग) मानक मुहर के अंतर्गत अथवा अनुरूपता के प्रमाण पत्र के अंतर्गत शामिल किए जाने के लिए अपेक्षित प्रेषणों का निरीक्षण करना;

(घ) बाजार के नमूने एकत्रित करना; और

(ङ) किसी भी सामान, वस्तु, प्रक्रम, पद्धति अथवा सेवा की निगरानी और सर्वेक्षण करना ।

(2) अभिकर्ता की नियुक्ति की निबंधन और शर्तें ब्यूरो और नियुक्त अभिकर्ता के बीच करार द्वारा की जाएगी :

परंतु कि भारत से बाहर अभिकर्ता की नियुक्ति केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से की जायेगी।

34. सामान, वस्तु, प्रक्रिया, पद्धति अथवा सेवा का निरीक्षण जब मानक चिह्न अथवा भारतीय मानकों की अनुरूपता अधिनियम द्वारा अथवा किसी अन्य कानून के अधीन अपेक्षित है –

(1) ब्यूरो इसके प्रमाणन अधिकारियों अथवा अभिकर्ता के माध्यम से सामानों, वस्तुओं, प्रक्रमों, पद्धति अथवा सेवाओं का निरीक्षण करवा सकता है, जहाँ मानक चिह्न अथवा मानकों की अनुरूपता अधिनियम के अधीन अपेक्षित है अथवा दावा किया जा सकता है ।

(2) निरीक्षणों को भारत अथवा भारत से बाहर निर्माता के स्थान पर भेजने से पूर्व अथवा भारत में इसके प्रवेश के स्थान पर अथवा भारत में इसकी बिक्री अथवा इसके उपयोग के स्थान पर किया जा सकता है ।

(3) निरीक्षणों में गुणता नियंत्रण पद्धति का निरीक्षण अथवा परीक्षण करने के अभिलेख का सत्यापन अथवा नमूने का परीक्षण अथवा कोई अन्य संबंधित विषय शामिल हो सकते हैं ।

(4) निरीक्षण के लिए शुल्क और यात्रा और इससे संबंधित किए गए अन्य खर्च इस तरीके और दरों पर किया जाएगा, जो समय-समय पर ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट किए जा सकते हैं ।

35. ब्यूरो के अन्य कृत्य – ब्यूरो निम्नलिखित कर सकता है :

(क) उत्पादों और प्रक्रमों में गुणता रखरखाव और सुधार से संबंधित गतिविधियों का विनियमन, कार्यान्वयन और समन्वयन;

(ख) देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों में मानकीकरण, प्रबंधन पद्धति और अनुरूपता मूल्यांकन और उससे संबंधित विषय पर सुसंगत विकास का संवर्धन;

(ग) उपभोक्ताओं और उपभोक्ता संगठनों को सूचना, प्रलेखन अन्य सेवा प्रदान करना, जिनकी निबंधन और शर्तें आपसी सहमत हो सकती हैं;

(घ) निर्माण अथवा प्रक्रम इकाईयों अथवा सेवा प्रबंधक को गुणता आश्वासन पद्धति को मान्यता देना, जिनकी निबंधन और शर्तें परस्पर सहमत हो सकती हैं;

(ङ) हैंडबुक, गाइड और अन्य विशेष प्रकाशन प्रकाशित करना;

(च) निरीक्षण और परीक्षण अथवा सामानों और वस्तुओं का परीक्षण करना अथवा किसी अन्य मानक की अनुरूपता के लिए प्रक्रम, पद्धति अथवा सेवाओं की लेखा परीक्षा तथा ऐसे प्राधिकृत पर निबंधन और शर्तें आपसी सहमत हो सकती हैं;

(छ) लोक हित में जैसा समीचीन समझा जाए, सामान, वस्तु, प्रक्रिया, पद्धति या सेवा के स्वैच्छिक या अनिवार्य आधार पर तत्संबंधी भारतीय मानक के प्रति अनुरूपता मूल्यांकन गतिविधियों की विनिर्मिति, कार्यान्वयन और समन्वयन करना।

36. **कतिपय नाम, इत्यादि के उपयोग करने पर प्रतिबंध का उपबंध** – (1) कोई भी व्यक्ति जो किसी नाम, चिह्न अथवा व्यापार चिह्न, इत्यादि के उपयोग करता है जिसका संदर्भ अधिनियम के खंड 26 के उपखंड (1) में दिया गया है जिसने ऐसे उपयोग के लिए ब्यूरो से पूर्व में अनुमति नहीं ली है, अगर ऐसे नाम, चिह्न अथवा व्यापार चिह्न इत्यादि अथवा किसी समय

कानून के लागू होने के अंतर्गत स्थापित हो गया है तो उनका उपयोग करने की अनुमति के लिए इन नियमों की अधिसूचना की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर ब्यूरो को आवेदन करेगा तथा ब्यूरो ऐसे नाम, चिह्न अथवा व्यापार चिह्न इत्यादि की अनुमति दे सकता है ।

(2) ब्यूरो को आवेदन उपनियम (1) के अंतर्गत ऐसे प्ररूप में भेजी जाए जैसे कि ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(3) ब्यूरो को एक पंजिका के रखरखाव के लिए निमित्त किया जाएगा, जिसमें उपनियम (1) के अंतर्गत ब्यूरो द्वारा अनुमत सभी नाम, चिह्न और व्यापार चिह्न इत्यादि की प्रविष्टि की जाएगी ।

37. ब्यूरो के विनिश्चय के विरुद्ध अपील – (1) कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम के खंड 13 अथवा खंड 14 के उपखंड (4) अथवा खंड 17 के अंतर्गत बनाए गए आदेश द्वारा व्यथित है, तो महानिदेशक को इस आदेश की तिथि से 90 दिन के भीतर अपील कर सकता है ।

परंतु यह कि अपीलकर्त्ता महानिदेशक का समाधान है कि उसके पास पर्याप्त कारण है कि वह ऐसी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपील पेश नहीं कर रहा है, ऐसी अपील नब्बे दिन की उक्त अवधि के अवसान के बाद अनुमत की जा सकती है ।

(2) उपनियम (1) के अधीन की गई प्रत्येक अपील द्विप्रतियों में फाइल की जाएगी और इसके साथ जिस आदेश के विरुद्ध अपील है, उसकी स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति होगी ।

(3) उपनियम (1) के अधीन की गई प्रत्येक अपील के साथ डिमांड ड्राफ्ट अथवा पे-आर्डर अथवा ई-ट्रांसफर के रूप में दो हजार रूपये का शुल्क ब्यूरो के पक्ष में देय होगा ।

(4) महानिदेशक अपीलकर्त्ता से संगत प्रलेख मांग सकता है और विषय में ऐसी जाँच, जैसा कि वह आवश्यक समझता है, के बाद और पक्षों को सुनने के अवसर देने के बाद, वह ऐसे आदेश दे सकता है, जैसा कि वह उपयुक्त समझता है :

परंतु यह कि अपील फाइल करने की तिथि से नब्बे दिन की अवधि के भीतर निपटा दी जाएगी ।

(5) महानिदेशक अपनी ओर से अथवा समय-समय पर विनिर्दिष्ट के रूप में पारित आदेश की समीक्षा और पुनर्विचार कर सकता है और उपनियम (4) के अधीन किसी ऐसे अधिकारी, जिसको शक्तियाँ प्रत्यायोजित हैं, उसके द्वारा पारित आदेश की पुष्टि या संशोधन कर सकता है या उसे हटा सकता है ।

(6) उप-नियम (4) या उप-नियम (5) के तहत महानिदेशक द्वारा जारी किए गए आदेश से व्यथित व्यक्ति, यथास्थिति, आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर की अवधि में केंद्रीय सरकार के मंत्रालय, जिनके पास ब्यूरो का प्रशासनिक नियंत्रण हो, में अपील कर सकता है।

(7) उप-नियम (2) और उप-नियम (4) के उपबंध लागू होंगे, तो उप-नियम (6) के अधीन फाइल प्रत्येक अपील में आवश्यक परिवर्तनों सहित होंगे।

38. बजट – (1) ब्यूरो अगले वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन और चालू वर्ष के लिए संशोधित प्राक्कलन तैयार करेगा और इसे प्रत्येक वर्ष 15 अक्तूबर या केन्द्र सरकार द्वारा निश्चित की गई तिथि को केन्द्रीय सरकार को भेजेगा ।

(2) उप-नियम (1) के तहत पूंजी लेखा और राजस्व पर प्राक्कलन अलग से तैयार किए जाएंगे।

(3) प्राक्कलन में निम्नलिखित शामिल होगा, अर्थात् :-

क) चालू वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन

ख) चालू वर्ष के लिए संशोधित प्राक्कलन; और

ग) अगले वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन:

परंतु कि व्यय आस्कमिक और आवश्यक प्रवृत्ति का हो, किंतु बजट में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, इसे केवल कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन के पश्चात् ही व्यय किया जा सकेगा।

39. विनियोजन और पुनर्विनियोजन : (1) स्वीकृत बजट में दी गई निधियां महानिदेशक के नियंत्रण में प्रवृत्त होंगी, उनके पास विनियोजित राशि की पूर्ण शक्तियां होंगी। लेखा की गतिविधियों के विभिन्न प्रमुखों और प्राधिकृत प्रयोजनों को पूरा करने के लिए बजट में दिए गए हैं:

परंतु यह कि व्यय को पूरा करने के लिए निधियों को विनियोजित या पुनर्विनियोजित नहीं किया जाएगा, जोकि इसे स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत न हो ।

(2) महानिदेशक के पास बजट के कृत्यों के विषय क्षेत्र में निहित और एक लेखा शीर्ष से दूसरे लेखा में राशि पुनर्विनियोजित करने की शक्तियां होंगी।

परंतु यह कि निधियों का पुनर्विनियोजन नहीं किया जाएगा –

(i) किसी भी काम की नई मद पर हुए व्यय को पूरा करने के लिए, जो बजट में अपेक्षित न हो।

(ii) किसी भी निर्माण से जुड़ी किसी भी ऐसी परियोजना का व्यय पूरा करने के लिए जिसे सक्षम प्राधिकारी का प्रशासनिक अनुमोदन और तकनीकी मंजूरी न मिली हो।

(iii) अनुमोदित प्राक्कलन के दस प्रतिशत से अधिक, निर्माण से जुड़ी किसी भी परियोजना पर व्यय को पूरा करने के लिए;

(iv) किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए बजट में व्यय की गई किसी भी विशिष्ट नई मदों के लिए किए गए प्रावधान;

(v) योजनागत शीर्ष से गैर-योजनागत शीर्ष के व्यय के तहत निधि देना और पूंजी से राजस्व और इसके विपरीत; तथा

(vi) लेखा शीर्ष "विदेश यात्रा" व्यय से अथवा के लिए

40. बैंक खाते – (1) बैंक खाते स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या इसके अधीनस्थ या राष्ट्रीयकृत बैंकों में खोले जाएंगे और इसका प्रचालन ऐसी रीति से किया जाएगा, जो महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत की जाए।

(2) निधि से संबंधित सभी पैसे तुरंत ही बैंक में जमा कराए जाएंगे।

41. निवेश - निधि से संबंधित धन, महानिदेशक या उनकी ओर से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के अनुमोदन के साथ, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 113) की धारा 11 की उप-धारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रकार और तरीकों से निवेश किया जा सकता है। संपत्ति से प्राप्त आय का निवेश केवल ट्रस्ट के तहत धर्मार्थ या धार्मिक प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।

42. **संविदा** – (1) ब्यूरो ऐसे सभी संविदा कर सकता है जो अधिनियम के किसी भी उपबंधों को लागू करने के लिए आवश्यक हों ।

(2) अधिनियम के अधीन या किसी भी उद्देश्य के लिए संविदा ब्यूरो की ओर से महानिदेशक या ऐसे अन्य अधिकारी, जो उनके द्वारा प्राधिकृत किए गए हों, द्वारा बनाए जाएंगे।

43. भविष्य निधि का प्रबंधन – (1) ब्यूरो के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए लागू सामान्य भविष्य निधि का प्रबंधन प्रशासकीय समिति द्वारा किया जाएगा, जिसे महानिदेशक द्वारा नामित किया जाएगा, जिसमें एक अध्यक्ष और चार अन्य व्यक्ति शामिल होंगे जिनमें से कम से कम दो व्यक्ति, अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रतिनिधि होंगे।

(2) प्रशासकों की समिति के कृत्य में भविष्य निधि का प्रबंधन और सरकारी प्रतिभूतियों में उसके निवेश और अन्य निक्षेपों को शामिल किया जाएगा, ऐसा इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा अभिनामित रीति से किया जाएगा।

44. पेंशन या उपदान देयता निधि – (1) ब्यूरो पेंशन या उपदान देयता निधि का अनुरक्षण करेगा।

(2) निधि का उपयोग केवल पेंशन के भुगतान, उपदान और पेंशन के परिवर्तित मूल्य के लिए किया जाएगा और इस निधि से कोई विनियोजन नहीं किया जाएगा।

(3) निधि का संग्रह बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर होगा और न्यूनता को आय एवं व्यय लेखा अधिशेष के विनियोजन अथवा ब्यूरो की निधि से अंतरण द्वारा पूरा किया जाएगा ।

(4) बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर एक निधि में वार्षिक अंशदान किया जाएगा और ब्यूरो की आय और व्यय में प्रभारित किया जाएगा।

(5) निधि का निवेश नियम 41 के अनुसार किया जाएगा ।

(6) निधि के अभिलेखों का अनुरक्षण, संचालन और अभिरक्षण महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत तरीके से होगा।

45. वार्षिक रिपोर्ट – (1) ब्यूरो अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाने से पहले वित्त वर्ष के अंत के नौ मास के भीतर केंद्रीय सरकार को इसे अग्रेषित करेगा।

(2) वार्षिक रिपोर्ट पिछले वर्ष के दौरान ब्यूरो की गतिविधियों का पूर्ण विवरण देगी और उसमें वर्ष के लेखा परीक्षित लेखा और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल होगी।

46. लेखा – (1) ब्यूरो प्रत्येक वर्ष की अपनी आय और व्यय से संबंधित खातों का अनुरक्षण करेगा और लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार करेगा जिसमें आय और व्यय का लेखा और तुलन-पत्र होगा।

(2) केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लिए समय-समय पर वित्त मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट सामान्य लेखा प्रपत्र में प्रत्येक वर्ष 30 जून से पहले वार्षिक लेखा विवरण, लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) उप-नियम (1) के अधीन तैयार किए गए खातों का वार्षिक विवरण, ब्यूरो की ओर से लेखा प्रभारी अधिकारी और महानिदेशक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

47. प्रमाणन अधिकारी – (1) अधिनियम की धारा 27 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त प्रत्येक प्रमाणन अधिकारी ब्यूरो द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट प्रमाणन अधिकारी के रूप में नियुक्ति के प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) प्रमाणन अधिकारी जब भी वह ड्यूटी पर होगा, सदैव प्रमाण पत्र रखेगा, और मांगे जाने पर उसके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) अनुज्ञप्ति या अनुरूपता प्रमाणपत्र के लिए प्रत्येक आवेदक या अनुज्ञप्ति या अनुरूपता प्रमाणपत्र का प्रत्येक धारक प्रमाणन अधिकारी को ऐसी युक्ति-युक्त सुविधाएँ उपलब्ध कराएगा, जो प्रमाणन अधिकारी अधिनियम के अधीन उस पर अधिरोपित कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अपेक्षा करे।

48. प्रमाणन अधिकारी की शक्तियां - अधिनियम की धारा 27 और धारा 28 के अधीन प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रमाणन अधिकारी –

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि मानक चिह्न का प्रयोग ब्यूरो द्वारा बनाए गए नियमों और शर्तों के अनुसार किया जा रहा है और ब्यूरो द्वारा निर्दिष्ट जांच योजना और परीक्षण का सही ढंग से पालन किया जा रहा है, सामान्य कारोबार के दौरान किसी भी समय किसी भी ऐसे परिसर में प्रवेश कर सकेगा, जिसमें किसी भी माल, वस्तु, प्रक्रिया, प्रणाली या सेवा, जिसके संबंध में अनुज्ञप्ति या अनुरूपता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है;

(ख) ऐसे परिसर से ऐसे किसी माल वस्तु या सामग्री का निरीक्षण कर सकेगा और नमूने ले सकेगा, जिसका प्रयोग ऐसे समान अथवा वस्तु के निर्माण में हो अथवा प्रयोग किया जाना अभीष्ट हो जिस पर मानक मुहर चिन्हित हो।

(ग) ऐसे परिसर में किसी भी प्रक्रिया, प्रणाली या सेवा का निरीक्षण कर सकेगा, जिसके संबंध में प्रमाणित निकाय या अनुज्ञप्तिधारक को अनुरूपता का प्रमाण पत्र दिया गया हो या मानक चिह्न का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो;

(घ) प्रमाणित निकाय द्वारा रखे गए अभिलेखों या अनुरूपता प्रमाण पत्र से संबंधित अनुज्ञप्तिधारक या मानक चिह्न के प्रयोग की जांच कर सकेगा ।

(ङ) ऐसी किसी भी वस्तु या माल या सामग्री या दस्तावेज को जब्त कर सकेगा, जो उनकी राय में उपयोगी हो, या अधिनियम के अधीन या इन नियमों के अधीन किसी भी कार्यवाही के लिए प्रासंगिक हो।

49. गैर-अनुरूपता वाले सामान की क्षतिपूर्ति

(1) अनुज्ञप्तिधारक या उसका प्रतिनिधि ऐसा सामान, वस्तुएं, प्रक्रियाएं या सेवाओं का विक्रय किया है, जिस पर मानक मुहर या उसकी भ्रामक आकृति हो, जोकि संबद्ध मानक के अनुरूप न हो और ब्यूरो यह निर्णय करता है कि इस अधिनियम की धारा 18 के उपखंड (7) के खंड (ख) के अधीन प्रमाणित निकाय अथवा अनुज्ञप्ति धारक अथवा उसके प्रतिनिधि को क्षतिपूर्ति देनी है, तो ऐसे मामले में क्षतिपूर्ति गैर-अनुरूपता वाले सामान, वस्तु, प्रक्रिया, पद्धति अथवा सेवा के बिक्री मूल्य और परीक्षण शुल्क की दोगुनी होगी:

परंतु यह कि ऐसे मामलों में जहां बहुमूल्य धातु की वस्तु संबद्ध मानक के अनुरूप न होने पर उसकी क्षतिपूर्ति, बेची गई ऐसी वस्तु के भार की शुद्धता की कमी के आधार पर परिकलित की गई राशि के अंतर और परीक्षण शुल्क की दोगुनी होगी।

(2) क्षतिपूर्ति के लिए प्रत्येक आवेदन ब्यूरो द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट दस्तावेज़ों की स्वयं-अनुप्रमाणित प्रतियों के साथ, जिसमें वस्तुओं, चीजों, प्रक्रिया, प्रणाली या सेवा के मामले में जांच रिपोर्ट शामिल है, गैर-अनुरूपता को प्रासंगिक बनाने और ऐसी परीक्षण रिपोर्ट ब्यूरो द्वारा अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला द्वारा जारी की जाएगी।

(3) ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय के प्रमुख जिसके अधिकार क्षेत्र में अनुज्ञप्ति या अनुरूपता प्रमाण पत्र का धारक आता है, वह प्रतिकर निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा:

परंतु यह कि उक्त प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने के 60 दिन के भीतर इस पर निर्णय करना होगा:

परंतु यह कि आगे इस उप-नियम के अंतर्गत किसी भी आदेश को पारित करने से पूर्व, ऐसा आवेदन जिससे संबंधित होता है, उस अनुज्ञप्ति या अनुरुपता प्रमाण पत्र धारक को अपने बचाव में विवरण दर्ज करने का अवसर प्रदान किया जाएगा और यदि परिस्थितियाँ मांग करती हों, तो दोनों पक्षों को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया जा सकेगा।

(4) यदि अनुज्ञप्ति या अनुरूपता प्रमाण पत्र धारक प्रतिकर की राशि देने में असफल होता है या देने से इंकार करता है, तो इस नियम के उपबंध के अंतर्गत, आदेश पारित होने के 30 दिन के अंदर ब्यूरो अनुज्ञप्ति या अनुरूपता का प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है:

परंतु यह कि यदि अनुज्ञप्ति या अनुरूपता प्रमाण पत्र धारक द्वारा वास्तविक कठिनाई उपदर्शित करने वाला कोई आवेदन प्राप्त होता है, तो इस तीस दिन की अवधि को प्राधिकारी द्वारा अधिकतम और तीस दिन तक बढाया जा सकेगा।

(5) यदि मानक की गैर-अनुरूपता स्थापित हो जाती है, तो ब्यूरो बाजार में या उत्पादन स्थल पर उत्पाद के अन्य नमूनों का निरीक्षण करेगा और अनुज्ञप्ति धारक के विरुद्ध अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार आगे कार्रवाई करेगा।

(6) जहां ब्यूरो इस अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (7) के खंड (ग) के अंतर्गत किसी माल या वस्तु की गैर-अनुरूपता द्वारा प्रमाणित निकाय या अनुज्ञप्ति धारक या उसके प्रतिनिधि को नुकसान के लिए जिम्मेदार है, तो वह इस निर्णय को प्रमाणित निकाय या अनुज्ञप्ति धारक या उसके प्रतिनिधि को सूचित करेगा, और इस अधिनियम की धारा 31 के अंतर्गत इस प्रकार की सूचना की प्राप्ति के दो माह की अवधि के भीतर वह प्रतिकर पर निर्णय लेगा।

50. अपराधों का शमन – (1) इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय कोई भी अपराध, वह चाहे अभियोग के प्रतिष्ठापन से पहले या बाद में पहली बार किया गया हो, का महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा शमन किया जा सकेगा:

परंतु, महानिदेशक क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख या ब्यूरो के किसी समतुल्य स्तर के ज्येष्ठ अधिकारी को लिखित में ऐसा करने के लिए प्राधिकृत करेगा, वह अधिकारी इस नियम के अंतर्गत शमन प्राधिकारी होगा।

(2) अभियोग के प्रारंभ होने से पूर्व या बाद में, कोई भी व्यक्ति ब्यूरो द्वारा निर्दिष्ट प्ररूप में केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से समय-समय पर शमन प्राधिकारी को धारा 33 के अधीन विनिर्दिष्ट अपराधों का शमन करने के लिए आवेदन कर सकेगा।

(3) उपनियम (2) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर शमन प्राधिकारी आवेदन में प्रस्तुत किए गए विवरण के संदर्भ में या कोई अन्य ऐसी जानकारी, जो ऐसे आवेदन में जाँच के लिए प्रासंगिक समझी जाए, के लिए संबंधित शाखा कार्यालय से रिपोर्ट मंगवाएगा और शाखा कार्यालय को शमन प्राधिकारी से सूचना मिलने से तीस दिन या शमन प्राधिकारी द्वारा बढ़ाई गई अनुमत अवधि तक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(4) शमन अधिकारी आवेदक को व्यक्तिगत रुप से सुनने और उक्त आवेदन की विषय वस्तु देखने के बाद अपने निर्णय के कारण बतलाते हुए आदेश दे सकेगा कि या तो शमन की गई राशि को इंगित करने वाले आवेदन को स्वीकार करे या ऐसे आवेदन को अस्वीकार करे:

परंतु यह कि तब तक आवेदन अस्वीकार नहीं किया जाएगा, जब तक आवेदक को सुनवाई का अवसर न दिया जाता है और ऐसी अस्वीकृति के कारणों को उस आदेश में उल्लिखित किया जाएगा :

परंतु कि आवेदक अपराध को शमन करने का अधिकार के रूप में दावा नहीं करेगा :

परंतु कि शमन प्राधिकारी द्वारा वहाँ शमन को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जहां आवेदक की दशा में कोई स्पष्ट विसंगतियाँ, अनियमितता या अपूर्णता हों।

(5) पारित आदेश की एक प्रति उपनियम (4) के अधीन आवेदक को रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या ईमेल द्वारा आवेदन में उसके द्वारा दिये गए पते पर भेजी जाएगी और ब्यूरो की वेबसाइट पर डाली जाएगी।

(6) जहां अभियोग का पहले ही आरंभ कर दिया गया है, शमन प्राधिकारी शमन को राशि सहित उचित आवेदन के माध्यम से न्यायालय के ध्यान में ला सकेगा और ऐसे आवेदन पर वह न्यायालय के निर्णय से आबद्ध होगा ।

(7) आवेदक उपनियम (4) के अधीन आदेश प्राप्त होने की तिथि से तीस दिन के भीतर अपराधों के शमन की अनुमति देगा या उपनियम (6) के अधीन न्यायालय के आदेश को अनुमति देगा । ब्यूरो को राशि के शमन का भुगतान शमन प्राधिकारी या न्यायालय के आदेशानुसार भुगतान करेगा और इस भुगतान का प्रमाण शमन प्राधिकारी को देगा :

परंतु यह कि एक बार दी गई शमन राशि का कभी पुन:भुगतान नहीं किया जाएगा, सिवाय उन मामलों के जहां न्यायालय उसी अपराध के लिए अभियोग से मुक्ति नहीं प्रदान करता है।

(8) इस नियम के अंतर्गत शमन की गई राशि को निम्न सारणी में दिया गया है।

क्र.सं.	अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट अपराध	कंपाउंडिंग राशि
(1)	(2)	(3)
1	धारा 29 की उप-धारा (1)	अधिकतम का पचास प्रतिशत और न्यूनतम की दशा में लागू दंड का पच्चीस प्रतिशत।
2	धारा 29 की उप-धारा (2)	अधिकतम का पचास प्रतिशत और न्यूनतम की दशा में लागू दंड का एक लाख रुपये।
3	धारा 29 की उप-धारा (3)	अधिकतम का पचास प्रतिशत और न्यूनतम की दशा में लागू दंड का दो लाख रुपये।

(9) यदि किसी व्यक्ति ने उप-नियम (8) के अंतर्गत सारणी में विनिर्दिष्ट एक से अधिक श्रेणियों के अधीन आने वाले अपराध किए हैं, तो ऐसे मामलों में जिस अपराध के लिए अधिकतम शमन राशि निर्धारित की गई है, वही राशि शमन राशि के रूप में नियत की जाएगी।

51. शमन प्राधिकारी की शक्तियाँ एवं कर्त्तव्य – (1) यदि शमन प्राधिकारी, इस बात से संतुष्ट है कि किसी व्यक्ति ने नियम 50 के उप-नियम (2) के अधीन अपराध के शमन हेतु आवेदन किया है और उसने कार्यवाही में उसके समक्ष सहयोग दिया है और वस्तुओं, प्रक्रिया, पद्धति या सेवा के संबंध में तथ्यों का पूरा तथा सच्चा खुलासा किया है, तो वह ऐसे व्यक्ति को अधिनियम के तहत अभियोजन से उन्मुक्ति प्रदान कर सकता है, यदि इस प्रकार शमन मामले के संबंध में वाद नहीं चलाया गया हो, तो ऐसी परिस्थितियों में शमन प्राधिकारी जैसे उचित समझे, उसे वैसे लागू कर सकता है।

(2) शमन प्राधिकारी को शमन करने के लिए हरेक आवेदन पर उसके फाइल होने के 60 दिनों के भीतर निर्णय लेने का प्रयास करेगा।

(3) शमन प्राधिकारी उसके द्वारा प्राप्त आवेदनों के विवरण तथा उन पर की गई कार्रवाइयों को दर्शाते हुए महानिदेशक के समक्ष एक मासिक रिपोर्ट फाइल करेगा।

[फा. सं. 6/1/2016-बीआईएस]

अनिल बहुगुणा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2018

G.S.R. 584(E).—In exercise of the powers conferred by section 38 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), and in supersession of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987 in so far as they relate to Chapter IV A of the said rules, and in supersession of the Bureau of Indian Standards Rules, 2017 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement - (1) These rules may be called the Bureau of Indian Standards Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. - (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016);

(b) "Advisory Committee" means an Advisory Committee constituted by the Governing Council under sub-section (1) of section 5 of the Act;

(c) "certificate of conformity" means a certificate granted by the Bureau or designated authority demonstrating that an article, process, system, service, has been determined to be in compliance with a standard or specified requirements, following assessment of conformity;

(d) "compounding authority" means an officer authorised by the Director General to be the compounding authority under sub- rule (1) of rule 50;

(e) "Consultant" means an expert or an organisation of experts engaged for a specific task relating to standards formulation to whom a fee is payable by the Bureau;

(f) "Director General" means Director General of the Bureau;

(g) "form" means form as specified by the Bureau from time to time provided that if any such form is specified by the Central Government for a purpose, that form shall prevail;

(h) "licensee" means a person to whom a licence has been granted under the Act;

(i) "technical committee" means a committee constituted by the Bureau under sub-section (3) of section 10 of the Act and includes a Division council, sectional committee, sub-committee, panel, working group or any other committee;

(j) "year" means the financial year commencing on the first day of April and ending on the 31st day of March.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Constitution of the Governing Council. - (1) The Governing Council shall consist of the following members, namely: –

(a) the Minister in charge of the Ministry or Department of the Central Government having administrative control of the Bureau who shall be *ex officio* President of the Bureau;

(b) the Minister of State or a Deputy Minister, if any, in the Ministry or Department of the Central Government having administrative control of the Bureau who shall be *ex officio* Vice-President of the Bureau, and where there is no such Minister of State or Deputy Minister, such person as may be nominated by the Central Government to be the Vice-President of the Bureau;

(c) the Secretary to the Government of India in charge–of the Ministry or Department of the Central Government having administrative control of the Bureau, *ex officio;*

(d) the Director General of the Bureau, *ex officio*;

(e) two Members of Parliament of whom one shall be from the House of the People and one from the Council of States;

(f) three persons representing the Ministries and Departments of the Central Government dealing with important subjects of interest to the Bureau;

(g) five representatives - one each from five zones of the State Governments and the Union territories on rotation basis who shall be, -

(i) the Minister in charge or Secretary of the Department having administrative control over quality and standards in the case of States and Union territories having a Council of Ministers; and

(ii) the Administrator or the Chief Executive Councillor, as the case may be, in the case of Union territories, not having a Council of Ministers;

(h) two persons representing consumer organisations which in the opinion of the Central Government are active and effective in their operations, or are in the opinion of that Government are capable of representing consumer interests;

(i) one person, who, in the opinion of the Central Government, is capable of representing farmers' interests;

(j) five persons representing the industry and trade and their associations and public sector enterprises to be chosen as follows:-

(i) President or Director General or Secretary General of three industry associations or federations of all India level;

(ii) Chief Executive of one Central or State Public Sector Enterprise related to subjects of importance to the Bureau;

(iii) Chairman or Managing Director of one industrial organisation, other than the public sector, who is awardee of a national or an international award for quality;

(k) three persons representing the scientific and research institutions, technical, educational and professional organisations related to subjects of importance to the Bureau;

(l) one person representing regulatory authorities or bodies dealing with important subjects of interest to the Bureau;

IndiaCode

(m) one person representing the National Accreditation Boards or bodies.

Explanation - For the purposes of clause (g), the five zones of States and Union territories shall be as under:-

North (1)	**East** (2)	**West** (3)	**South** (4)	**North-East** (5)
1. Himachal Pradesh	1. West Bengal	1. Gujarat	1. Andhra Pradesh	1. Assam
2. Punjab	2. Orissa	2. Maharashtra	2. Tamil Nadu	2. Meghalaya
3. Haryana	3. Bihar	3. Rajasthan	3. Karnataka	3. Tripura
4. Uttar Pradesh	4. Chhatisgarh	4. Madhya Pradesh	4. Kerala	4. Arunachal Pradesh
5. Jammu and Kashmir	5. Jharkhand	5. Goa	5. Telangana	5. Manipur
6. Uttarakhand	6. Sikkim	6. Daman and Diu	6. Puducherry	6. Mizoram
7. NCT of Delhi		7. Dadra and Nagar Haveli	7. Andaman and Nicobar Islands	7. Nagaland
8. Chandigarh			8. Lakshadweep Islands	

IndiaCode

(2) The term of office of a member shall continue so long as he holds the office by virtue of which he is such a member.

(3) The Governing Council may associate persons not exceeding fifteen to assist or advise in the fields of science and technology including environmental control, energy conservation, import substitution, transfer of technology and other areas of emerging technology.

4. Term of office of members. - (1) Members appointed under clause (e) to clause (m) of sub-rule (1) of rule 3 shall hold office for a period of two years and shall be eligible for reappointment.

(2) A member appointed under sub-rule (1) of rule 3 who desire to resign from membership of the Governing Council shall forward his letter of resignation under his own hand to the Central Government and such resignation shall take effect from the date of its acceptance by the Central Government or on the expiry of a period of one month from the date of its receipt by the Central Government, whichever is earlier.

(3) When a vacancy occurs by resignation of a member under sub-rule (2) or otherwise, the Central Government shall take steps to fill the vacancy within a period of six months from the date of its occurrence by making an appointment from amongst the category of persons to which the person who vacated the office belonged and the person so appointed shall hold office for the remainder of the term of office of the member in whose place he is appointed.

(4) A person shall be disqualified for being appointed as a member or shall be removed from membership by the Central Government if he,-

(a) has been convicted and sentenced to imprisonment for an offence, which, in the opinion of the Central Government, involves moral turpitude; or

(b) is an undischarged insolvent; or

(c) is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

(d) has been removed or dismissed from the service of the Government or a body corporate owned or controlled by the Government; or

(e) has in the opinion of the Central Government such financial or other interest in the Bureau as is likely to affect prejudicially the discharge by him of his functions as a member:

Provided that no member shall be removed on the ground that he has become subject of the disqualification mentioned under clause (e) unless he has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter.

5. Proceedings of the Governing Council.- (1) The President, or in his absence the Vice-President, shall preside at the meetings of the Governing Council:

Provided that in the absence of both the President and the Vice-President, the members present at the meeting shall elect one from amongst themselves to preside over the meeting.

(2) At least one meeting of the Governing Council shall be held every year:

Provided that the President may at his discretion convene more than one meeting in a year if he considers it necessary.

(3) A notice of not less than twenty-one days from the date of issue shall ordinarily be given to every member for each meeting of the Governing Council:

Provided that if it is necessary to convene an emergency meeting, a notice of not less than seven days shall be given to every member.

(4) Every notice of meeting of the Governing Council shall specify the place and the day and hour of the meeting.

(5) The President shall cause to be prepared and circulated to the members, at least seven days before the meeting, an agenda for the meeting:

Provided that where an emergency meeting is convened, an agenda for such meeting may be circulated to the members at the meeting.

(6) Seven members shall form the quorum:

Provided that if any meeting is adjourned for want of quorum, the adjourned meeting may be called on a date not later than seven days from the date of the original meeting to transact the business regardless of the quorum.

(7) Each member including the President shall have one vote and in the case of an equality of votes on any question to be decided by the Governing Council, the President, or the Vice-President or the member presiding over such meeting shall in addition, have a casting vote.

(8) The proceedings of each meeting shall be circulated to each member of the Governing Council which shall be confirmed at the next meeting with or without modifications.

6. Executive Committee. - (1) The Executive Committee shall perform, exercise, and discharge such of the functions, powers and duties as may be delegated to it by the Governing Council.

(2) The Executive Committee shall consist of the Director General as *ex officio* Chairman and ten other members, representing the following categories, to be appointed by the Governing Council, with the prior approval of the Central Government, namely:-

(i) Special Secretary or Additional Secretary and Financial Adviser to the Government of India in the Ministry or Department having administrative control of the Bureau;

(ii) Special Secretary or Additional Secretary or Joint Secretary to the Government of India in the Ministry or Department having administrative control of the Bureau;

(iii) two persons, each representing different Ministries or Departments of Central Government other than the Ministry or Department having administrative control of the Bureau.

(iv) one person representing consumer organisation;

(v) one person representing industry, trade and their associations;

(vi) two persons representing academic, scientific and research institutions;

(vii) two persons representing public sector enterprises and technical or professional organisations.

IndiaCode

(3) The members of the Executive Committee appointed under sub-rule (2) shall hold office for a period of two years and shall be eligible for reappointment.

(4) When a member appointed under sub-rule (2) desires to resign from membership of the Executive Committee, he shall forward his letter of resignation under his own hand to the Director General and such resignation shall take effect from the date of its acceptance by the Director General or on the expiry of a period of one month from the date of its receipt by the Director General, whichever is earlier.

(5) The vacancy caused on resignation, termination etc., of a member of the Executive Committee shall be filled within a period of three months from the date of occurrence by the Bureau with the prior approval of the Central Government.

(6) A meeting of the Executive Committee shall be held at least once in every three months.

(7) Each meeting of the Executive Committee shall be called by giving not less than fourteen days from the date of issue, notice in writing to every member:

Provided that an emergency meeting may be called by giving not less than three days' notice to every member.

(8) Every notice of a meeting of the Executive Committee shall specify the place and the day and hour of the meeting.

(9) The ex officio Chairman of the Executive Committee shall cause to be prepared and circulated to the members, at least seven days before the meeting, an agenda for the meeting:

Provided that where an emergency meeting is called, an agenda for such meeting may be circulated to the members at the meeting.

(10) The quorum for a meeting of the Executive Committee shall be four.

(11) The proceedings of each meeting shall be circulated to each member of the Executive Committee which shall be confirmed at the next meeting with or without modification.

7. Travelling and daily allowances to Governing Council and Executive Committee members.— (1) The members and persons associated with the Governing Council and the members of the Executive Committee representing the Central Government, State Governments, Union territories, Statutory and autonomous bodies and public sector undertakings (other than those specially approved by the Executive Committee), trade, industry and their associations, shall not be eligible to draw any travelling or daily allowance from the funds of the Bureau.

(2) Travelling and daily allowances to members and persons associated with the Governing Council and members of the Executive Committee other than those specified in sub-rule (1), while travelling within the country with prior concurrence of the Director General, may be admissible from the Bureau for attending meetings of the Governing Council and the Executive Committee and discharging any duty as assigned by the Governing Council or the Executive Committee.

(3) The rates of travelling and daily allowances admissible to the members and persons covered by sub-rule (2) shall be the same as applicable to non officials attending the meetings of committees set up by the Central Government.

(4) Any member who is a Member of Parliament shall not be entitled to any allowance other than compensatory allowance, as defined in clause (a) of section 2 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 (10 of 1959) :

Provided that such member shall be entitled to such allowance for meetings held during the intersession period.

Explanation **–** For the purposes of this sub-rule, "intersession period" means the interval between the adjournment of a House of Parliament of which he is a Member and the reassembly of that House.

8. Appointment of Director General.- (1) There shall be a Selection Committee for recommending to the Government a panel of names for appointment of the Director General under sub-section (1) of section 7.

IndiaCode

(2) The Selection Committee shall consist of the following persons, namely:-

(i)	Secretary to the Government of India in the Ministry or the Department having administrative control of the Bureau;	—Chairman
(ii)	Secretary to the Government of India in the Department of Science and Technology;	—Member
(iii)	Nominee of the Government of India in the Department of Personnel and Training;	—Member
(iv)	An outside expert of eminence from the relevant field to be nominated by the Central Government.	—Member

(3) The Selection Committee shall consider suitable candidates, including from amongst officers and employees of the Bureau, possessing the following qualifications and experience, namely:-

(a) (i) Essential qualifications : a first class degree in Engineering or Technology or a first class Post Graduate degree in any branch of Science;

(ii) Desirable qualifications: a Post Graduate degree in any branch of Engineering or Technology or a Doctorate in Science or any branch of Engineering;

(b) Experience : at least twenty-five years combined experience in the following areas in the Government or public sector undertakings or autonomous bodies or private sector, namely :-

(i) Industrial Engineering Design or Research;

(ii) Standardisation;

(iii) Quality Control;

(iv) Basic scientific and technical research (in case of research experience in a laboratory, the same should be of national repute);

(v) Administration:

Provided that candidates with Post Grad uate degree in Engineering or Doctorate in pure Science or any branch of Engineering having twenty-three years of experience shall be eligible:

Provided further that if the candidate is a Government servant, he shall have the educational qualifications and experience as specified in clauses (a) and (b) and also be eligible for promotion to a post equivalent to Additional Secretary in the Government of India:

Provided also that if a candidate is an employee of a public sector undertaking or an autonomous body, he shall have the educational qualifications and experience as specified in clauses (a) and (b) and at least two years' regular service in a post equivalent to Joint Secretary in the Government of India; and at least two years' experience in senior management level in the case of a candidate working in private sector:

Provided also that on the closing date of receipt of applications, the candidate should have at least two years' service before superannuation.

(4) The recommendations of the Selection Committee shall be sent to the Central Government for taking a decision on the appointment of the Director General.

(5) Notwithstanding anything contained in sub-rule (3), if the Central Government considers it necessary, it may, in the public interest, appoint a suitable officer to the post of Director General under the Central Staffing Scheme, as per the procedure specified in that Scheme.

9. Term of office of Director General. - The Director General shall hold office for a term of three years or until he attains the age of sixty years, whichever is earlier:

Provided that the term of the Director General may be extended by the Central Government for a period not exceeding two years or until he attains the age of sixty years, whichever is earlier:

IndiaCode

Provided further that where the Central Government is satisfied that the re-appointment of an outgoing Director General after he has attained the age of sixty years is in the interest of the Bureau, it may for reasons to be recorded in writing, reappoint him for a further period not exceeding two years.

10. Pay and allowances. - The post of Director General shall be equivalent to the post of an Additional Secretary in the Government of India and shall be entitled to all other allowances as provided under the Act or under these rules:

Provided that in case of foreign travel, officers of the Central Government appointed on tenure or transfer or deputation basis, shall be governed by Foreign Travelling Allowance or the Daily Allowance rules as are applicable to the Central Government servants of equivalent status and others shall be governed by the regulations of the Bureau.

11. Staff car. – (1) The Director General shall be entitled to free use of staff car for official purpose including the journeys from residence to office and vice-versa.

(2) The Director General shall be allowed to use staff car (car upto and including 16 H.P.) for non-duty journeys upto five hundred kilometres per month on payment of an amount as decided by Department of Expenditure in the Ministry of Finance from time to time.

12. Resignation. - The Director General may, at any time before the expiry of his term, tender his resignation to the Central Government by giving three months' notice therefor:

Provided that the Central Government reserves the right not to accept the resignation tendered by the Director General in the public interest:

Provided further that the Government may, in special circumstances, waive the stipulation of three months' notice by making payment of three months' salary and allowances in lieu of the notice period.

IndiaCode

13. Other conditions of service. - With regard to the other conditions of service including joining time, earned leave, medical benefits, retirement benefits and leave travel concession, if a candidate is a Government servant, the entitlement shall be as applicable to the Central Government servant of equivalent status and if the candidate is an employee of a public sector undertaking or an autonomous body or working in private sector, he shall be governed by regulations framed under the Act in this regard for the employees of the Bureau.

14. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules relating to appointment and terms and conditions of service of the Director General.

15. Establishment of Indian Standards. – (1) The Bureau shall establish Indian Standards in relation to any goods, article, process, system or service and shall reaffirm, amend, revise or withdraw Indian Standards so established as may be necessary, by a process of consultation with stakeholders who may include representatives of various interests such as consumers, regulatory and other Government bodies, industry, testing laboratories or calibration laboratories, scientists, technologists, and members of the Committees of the Bureau:

Provided that where a standard is being established on the request of the Central Government or the regulator, which is emerging from or has an impact on national policy, the Central Government or the concerned regulator shall be consulted to ensure that the standard is consistent with such policy:

Provided further that any Indian Standard established by the erstwhile Indian Standards Institution and the Bureau of Indian Standards established under Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986) before the date of commencement of the Act or the rules or regulations made thereunder, shall be deemed to have been established under the provisions of the Act or under these rules or regulations made under Section 39 of the Act.

(2) All Indian Standards, their revisions, amendments and withdrawal shall be established by notification in the Official Gazette.

16. Division Councils. - The Bureau shall, for the purposes of formulation of Indian Standards in respect of any goods, article, process, system or service, constitute technical committees of experts to be known as the Division Councils.

17. Sectional committees. - (1) The Division Council may constitute such number of Sectional Committees, for the work of formulation of Indian Standards, as it may consider necessary for the purpose.

(2) Every Sectional committee shall comprise of concerned officers of the Bureau and representatives of various interests such as consumers, regulatory and other Government bodies, industry, testing organisations laboratories or calibration laboratories, scientists, technologists, experts in personal capacity and consumer interests and an officer of the Bureau shall be its Member-Secretary.

18. Sub-Committees, panels and working groups.- A sectional committee may constitute such number of sub-committees, panels or working groups within its area of work as it may consider necessary, and it shall define their scope, composition and coordinate their activities.

19. Term of the technical committees.- The Division Councils, sectional committees and sub - committees shall be reconstituted once every three years:

Provided that the tenure of panels and working groups shall be as decided by the concerned Division Council under which they were constituted.

(2) Division Councils shall be constituted in defined areas of industries, technologies, services and other subjects and shall comprise of concerned officers of the Bureau and representatives of various interests such as consumers, regulatory and other Government bodies, industry, testing laboratories or calibration laboratories, scientists and technologists and an officer of the Bureau shall be the Member Secretary.

(3) The Division Council shall. -

(i) advise on the subject areas to be taken up for formulation of Indian Standards in their respective areas keeping in view the national needs and priorities;

(ii) approve proposals for work and determine the priority to be assigned to the work;

(iii) direct the sectional committees concerned to undertake the work of formulation of standards;

(iv) advise on matters relating to research and development needed for the establishment of Indian Standards or their revisions ;

(v) study the work of international organisations and their committees in standards formulation related to the area of work of the Division Council and recommend on the extent and manner of participation in standardisation activities at the international level;

(vi) advise on implementation of established standards and promotion of Indian Standards;

(vii) receive and deal with activity reports and to make recommendations thereon to the Governing Council concerning matters in which the decision of the Governing Council is necessary;

(viii) carry out such tasks as may be specifically referred to it by the Governing Council or the Standards Advisory Committee constituted under clause (c) of sub-section (1) of section 5 of the Act.

20. Travelling and daily allowances to members of technical committee. -

(1) The members of the technical committees constituted under these rules representing the Central Government, State Governments, Union territories, statutory bodies, autonomous bodies and public sector undertakings (other than those specially approved by the Executive Committee), trade, industry and their associations, shall not be eligible to draw any travelling or daily allowance from the funds of the Bureau.

(2) Travelling and daily allowances to Chairperson and members of the technical committees constituted under these rules other than those specified in sub-rule (1), while travelling within the country with prior concurrence of the Director General, may be admissible from the Bureau for attending meetings of the technical committee or discharging any duty of the technical committee.

(3) The rates of travelling and daily allowances admissible to the members under sub-rule (2) shall be same as applicable to non-officials attending the meetings of the committees set up by the Central Government.

IndiaCode

21. **Terms and conditions for engaging consultants** .- (1) The Bureau may from time to time, engage such number of consultants as it may consider necessary, to assist the Committees constituted under this rule.

(2) The terms and conditions for engaging consultants in the work of technical committees and in the work relating to establishment of Indian Standards shall be such as may be decided by the Executive Committee.

22. Procedure for establishment of Indian Standards. – (1) Any person, being a Ministry of the Central Government, State Government, Union territory administration, consumer organisation, industrial unit, industry-association, professional body, member of the Governing Council, member of a technical committee or any individual who proposes for establishment of an Indian Standard or for amending or for revising or withdrawing an established Indian Standard may submit the proposal to the Bureau in writing for the purpose.

(2) On receipt of the proposal under sub-rule (1), the Bureau shall assign the proposal to the concerned Division Council.

(3) The Division Council, on being satisfied as a result of its own deliberations or on investigation and consultation with concerned interests that the necessity for standardisation has been established, shall assign the task of formulating the standard to a sectional committee constituted for the purpose:

Provided that if the proposal for establishing an Indian Standard has not been accepted after its due consideration, the proposer shall be informed of the decision.

(4) The Indian Standard prepared by the sectional committee shall be issued in draft form and widely circulated for a period of not less than one month amongst the various interests concerned for critical review and suggestions for improvement:

Provided that the wide circulation may be waived of, if the Sectional Committee is satisfied that the matter is urgent or non-controversial.

(5) The draft Indian Standards issued under sub-rule (4) shall be finalised by the concerned sectional committee after giving due consideration to the comments that may be received and the draft so finalised shall be submitted to the Chairperson of the concerned Division Council for adoption of the Standard.

(6) The standard so adopted under sub-rule (5) shall be notified by the Bureau.

23. Review of Indian standards. – The Bureau shall review, periodically, at least once in five years, all established Indian standards to determine the need for revision, amendment, reaffirmation or withdrawal of such standards, in accordance with the provisions of these rules:

Provided that the need for withdrawal of the established Indian standard shall be decided upon by the respective Division Council on the recommendations of the sectional committee concerned:

Provided further that proposals relating to minor amendments or amendments in the nature of correction of errors or omissions in established Indian Standards may be notified by the Bureau without reference to the concerned Sectional Committee:

Provided also that the Bureau shall have the power to provisionally amend, by notification, such of the provisions of an Indian Standard as in its view are necessary for expeditious fulfilment of any of the objectives of the Act and the amendments so made shall be regularised without further notification if the sectional committee concerned has on examination, approved the standards as so amended, within a period of six months from the date of the notification.

24. Indian Standards to be binding in certain cases.- (1) Save as otherwise provided in sub-rule (2), the Indian Standards are voluntary and their implementation depends on adoption by concerned parties.

(2) An Indian Standard shall be binding if it is stipulated in a contract or referred to in a legislation or made mandatory by specific orders of the Government.

25. Publication. - The Indian Standards established by the Bureau, their revisions and amendments shall be published and copies thereof, in any form as may be determined by the Bureau, shall be made available for sale at such prices as may be determined by the Bureau.

IndiaCode

26. Standards promotion. - The Bureau may promote adoption of Indian Standards by consumers, commerce, industry, Government and other interests, in such manner as it may consider necessary.

27. Procedure for establishment of provisional Indian Standards. – (1) Where a proposal relates to a new technology in respect of which its technical accuracy cannot be established, the Bureau may cause the Division Council to prepare a provisional Indian standards in accordance with the procedure laid down under rule 22.

(2) The provisional Indian Standard so prepared under this rule shall be notified as a provisional Indian Standard without wide circulation, after its adoption by Chairperson of Division Council concerned.

(3) The Foreward of the provisional Indian Standard shall specify the following, namely:-

(i) need for preparing the provisional Indian Standard;

(ii) scope of its application; and

(iii) period of its validity:

Provided that the provisional Indian standards so notified under sub-rule (2) shall be valid for a period upto two years, as may be determined by the Bureau on the recommendations of the sectional committee, and may be extended by not more than two years.

(4) The provisional Indian Standard shall not be used for Standard Mark.

(5) The provisional Indian Standards so notified under sub-rule (2) shall, before the expiry of the validity period, be examined by the concerned sectional committee and establish it as a regular Indian Standard:

Provided that if the sectional committee is of the opinion that such standards should not be established, with or without modification, as a regular Indian Standard, then the provisional Indian Standard so notified shall lapse after its validity period.

28. Concurrent Running of Indian Standards, – (1) The Director General may allow concurrent running of two versions of an Indian Standard and may also decide the period of such concurrent running.

(2) The Director General may allow concurrent running of an Indian Standard and any of its amendments and may also decide the period of such concurrent running.

29. Adoption of other Standards as Indian Standards. - (1) The Bureau may, in relation to any goods, article, process, system or service, adopt any standard established by any other institution in India or outside India as an Indian Standard with necessary modifications, in accordance with the procedure laid down in rule 22:

Provided that any Indian Standard adopted by the erstwhile Indian Standards Institution and the Bureau of Indian Standards established under Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986) shall be deemed to have been adopted under the provisions of the Act or under these rules or the regulations made under section 39 of the Act.

(2) Standards so adopted as Indian Standards shall be notified by the Bureau in the Official Gazette.

30. Recognition or accreditation of Institutions engaged in standardisation. -

The terms and conditions for recognition or accreditation of any institution in India or outside India, engaged in standardisation, shall be as decided by Executive Committee.

31. Standard Mark. – (1) The Standard Mark shall be published by the Bureau in the Official Gazette.

(2) The Standard Mark established and notified by the Indian Standards Institution and the Bureau of Indian Standards established under the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986) shall be deemed to be valid unless amended or rescinded by the Bureau.

32. Establishment, maintenance and recognition of laboratories. - (1) The laboratories established and maintained by the Bureau shall -

(a) carry out testing of samples in relation to conformity assessment schemes of Bureau ;

(b) carry out research and development investigations or testing for collecting data for evolving and revising Indian Standards and for quality assessment studies;

(c) provide support services to industries for quality improvement on such terms and conditions as may be laid down by the Bureau from time to time; and

(d) carry out such other functions as may be necessary to fulfill the objectives of the Bureau.

(2) The Bureau may recognise any laboratory in India or outside India for carrying out testing of samples in relation to conformity assessment and such other functions as the Bureau may assign to it.

(3) The Bureau may issue guidelines for recognition, suspension or withdrawal, revocation or renewal, of recognition of laboratories.

(4) The Bureau shall maintain a record of laboratories recognised by it for testing samples of articles or processes in relation to the relevant Indian Standards.

33. Appointment of agents. – (1) The Bureau may appoint any person or laboratory or organisation in India or outside India as its agent to act on its behalf for discharging any one or more of the following functions, namely :-

(a) to carry out inspections of manufacturer's premises in India or outside India for allowing use of the Standard Mark or for grant of certificate of conformity;

(b) to test samples of products for their conformity to Indian Standards;

(c) to inspect consignments intended to be covered under the Standard Mark or under certificate of conformity;

(d) to collect market samples; and

(e) to carry out market surveillance and surveys for any goods, article, process, system or service.

IndiaCode

(2) The terms and conditions of the appointment of agents shall be set out in an agreement between the Bureau and the agent so appointed:

Provided that the appointment of agents outside India shall be made with the previous approval of the Central Government.

34. Inspection of goods, article, process, system or service when Standard Mark or conformity to Indian Standards is required by the Act or under any other law. – (1) The Bureau may carry out inspections, through its certification officers or agents, of goods, articles, processes, systems or services where Standard Mark or conformity to Indian Standards is required or claimed under the Act.

(2) The inspections may be carried out in India or outside India at place of manufacture before dispatch, or at the place of its entry into India, or at place of its sale or use in India.

(3) The inspections may include inspection of quality control system, or verification of records of testing or testing of a sample or any other related matter.

(4) The fees for inspection and expenses incurred in travelling and other expenses relating thereto, shall be paid in the manner and at the rates as may be specified by the Bureau from time to time.

35. Other functions of the Bureau. – The Bureau may, -

(a) formulate, implement and coordinate activities relating to quality maintenance and improvement in products and processes;

(b) promote harmonious development in standardisation, management systems and conformity assessment, and matters connected therewith both within the country and at international level;

(c) provide information, documentation and other services to consumers and consumer organisations on such terms and conditions as may be mutually agreed upon;

(d) give recognition to quality assurance systems in manufacturing or processing units or service providers, on such terms and conditions as may be mutually agreed upon;

(e) bring out handbooks, guides and other special publications;

(f) carry out inspections and testing or testing of goods and articles or audit of process, system or service for conformity to any other standard if so authorised, on such terms and conditions as may be mutually agreed upon; and

(g) formulate, implement and coordinate activities of conformity assessment to the relevant Indian Standards on voluntary or compulsory basis, of goods, article, process, system or service as may be considered expedient in public interest.

36. Provision as to restriction to use certain names, etc. – (1) Any person using any name, mark or trade mark, etc., referred to in sub-section (1) of section 26 of the Act who has not obtained previous approval of the Bureau for such use shall, if such name, mark or trade mark, etc., has been established by or under any law for the time being in force, make an application to the Bureau for permission to the use thereof, within a period of six months from the date of notification of these rules and the Bureau may grant permission to such name, mark or trade mark, etc.

(2) The application to be made to the Bureau under sub-rule (1) shall be in such form as may be specified by the Bureau.

(3) The Bureau shall cause to be maintained a register in which shall be entered all names, marks and trademarks permitted by the Bureau under sub-rule (1).

37. Appeals against decisions of Bureau. – (1) Any person aggrieved by an order made under section 13 or sub-section (4) of section 14 or section 17 of the Act may prefer an appeal to the Director General within ninety days from the date of the order:

Provided that if the appellant satisfies the Director General that he had sufficient cause for not preferring the appeal within the period so specified, the appeal may be admitted after the expiration of the said period of ninety days.

(2) Every appeal made under sub-rule (1) shall be filed in duplicate and shall be accompanied by a self-attested copy of the order appealed against.

(3) Every appeal made under sub-rule (1) shall be accompanied by a fee of two thousand rupees in the form of a demand draft or pay order or E transfer, drawn in favour of the Bureau.

(4) The Director General may call for relevant documents from the appellant and may after such inquiry in the matter as he considers necessary and after giving an opportunity to the parties to be heard, pass such orders as he thinks fit:

Provided that the appeal shall be disposed of within a period of ninety days from the date of its filing.

(5) The Director General may, suo-moto, or on an application made in the form as specified by the Bureau from time to time, review and reconsider any order passed under sub-rule (4) by an officer to whom the powers have been delegated by him and may confirm, modify or set aside the orders passed by such officer after the review.

(6) Any person aggrieved by an order passed by the Director General under sub-rule (4) or sub-rule (5), as the case may be, may prefer an appeal to the Central Government in the Ministry having administrative control of the Bureau within a period of sixty days from the date of such order.

(7) The provisions of sub-rule (2) and sub-rule (4) shall apply, mutatis mutandis to every appeal filed under sub-rule (6).

38. Budget. – (1) The Bureau shall prepare budget estimates for the next year and the revised estimates for the current year and shall forward it to the Central Government by 15th October each year or by such date as may be decided by the Central Government.

(2) The estimates under sub-rule (1) shall be prepared separately on revenue and capital accounts.

(3) The estimates shall contain the following, namely:-

(a) budget estimates for the current year;

(b) revised estimates for the current year; and

(c) budget estimates for the next year :

Provided that where the expenditure is of an emergent and essential character but provision for the same has not been made in the budget, it shall be incurred only after the approval by the Executive Committee.

39. Appropriation and reappropriation. – (1) The funds provided in the sanctioned budget shall be deemed to be at the disposal of the Director General who shall have full powers to appropriate sums therefrom to meet the expenditure under different heads of accounts for activities and purposes authorised and provided for in the budget :

Provided that funds shall not be appropriated or reappropriated to meet the expenditure which has not been sanctioned by an authority competent to sanction it.

(2) The Director General shall have powers within the scope of the budgetted activities and purposes to reappropriate sums from one head of account to another:

Provided that funds shall not be reappropriated –

(i) to meet the expenditure on any new item of work not contemplated in the budget;

(ii) to meet the expenditure on any project involving construction which has not received administrative approval and technical sanction from the competent authorities;

(iii) to meet the expenditure on any project involving construction, in excess of ten per cent of the approved estimates;

(iv) from the provision made for any specified new item of expenditure in the budget for any other purpose;

(v) from funds provided under plan heads to the non-plan heads of expenditure and from capital to revenue and vice versa; and

(vi) from or to head of account "overseas travel" expenditure.

40. Bank accounts. – (1) Bank accounts shall be opened in the State Bank of India or any of its subsidiaries or any of the nationalised banks and operated in such a manner as may be authorised by the Director General.

(2) All money belonging to the fund shall be deposited promptly into the Bank.

41. Investment. – Moneys belonging to the fund may, with the approval of the Director General or any other officer authorised in this behalf, be invested in the form and modes as specified under sub-section (5) of section 11 of the Income-tax Act, 1961 (113 of 1961) for Investment of income derived from property held under trust wholly for charitable or religious purposes.

42. Contract. – (1) The Bureau may enter into all such contracts as it may consider necessary for giving effect to any of the provisions of the Act.

(2) Every contract made under or for any purpose of the Act shall be made on behalf of the Bureau by the Director General or such other officers as may be authorised by him/her in this behalf.

43. Administration of provident fund. – (1) The General Provident Fund applicable to the officers and employees of the Bureau shall be administered by a committee of administrators, to be nominated by the Director General, comprising a Chairman and four other persons out of which at least two of them shall be the representatives of officers and employees.

(2) The functions of the committee of administrators shall include management of the provident funds and investment of the same in Government securities and other deposits, in the manner laid down by the Central Government in this regard.

44. Pension or gratuity liability fund. - (1) The Bureau shall maintain a pension or gratuity liability fund.

(2) The Fund shall be utilised for the payment of pension, gratuity and commuted value of pension only and no appropriation shall be made out of this fund.

(3) The corpus of the fund shall be on the basis of actuarial valuation and shortfall shall be made through the appropriation of the surplus from income and expenditure account or transfer from the fund of the Bureau.

(4) An annual contribution based on actuarial valuation shall be made to the fund and charged to income and expenditure account of the Bureau.

(5) The Investment of the fund shall be made in accordance with rule 41.

(6) The custody, operation and maintenance of the records of the fund shall be in such a manner as may be authorised by the Director General.

45. Annual report. – (1) The Bureau shall prepare its annual report and forward it to the Central Government within nine months of the end of the financial year for being laid before each House of Parliament.

(2) The annual report shall give a full account of the activities of the Bureau during the previous year and shall include the audited accounts of the year and the report of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

46. Accounts. – (1) The Bureau shall maintain accounts of its income and expenditure relating to each year and prepare annual statement of accounts consisting of income and expenditure account and the balance sheet.

(2) Annual statement of accounts shall be submitted for audit not later than 30th June each year in the common accounting format prescribed by Ministry of Finance from time to time for central autonomous bodies or as nearer thereto as the circumstances admit.

(3) The annual statement of accounts prepared under sub-rule (1) shall be signed on behalf of the Bureau by the officer incharge of accounts and the Director General and shall be approved by the Executive Committee.

47. Certification officers. – (1) Every certification officer appointed under sub-section (1) of section 27 of the Act shall be furnished by the Bureau with a certificate of appointment as a certification officer in the form as specified by the Bureau from time to time.

(2) The certificate shall be carried by the certification officer at all times while he is on duty and shall, on demand, be produced by him.

(3) Every applicant for a licence or certificate of conformity or every holder of licence or certificate of conformity shall afford to the certification officer such reasonable facilities as the certification officer may require for carrying out the duties imposed on him by or under the Act.

48. Powers of certification officer. – Without prejudice to the powers conferred under section 27 and section 28 of the Act, a certification officer may –

(a) at any time during the usual business hour enter upon any premises in which any goods, article, process, system or service, in respect of which a licence or certificate of conformity has been granted, with a view to ascertain that the Standard Mark is being used in accordance with the terms and conditions imposed by the Bureau and that the Scheme of inspection and testing specified by the Bureau is being correctly followed;

(b) inspect and take samples at such premises of any such goods or article or any material used or intended to be used in the manufacture of such goods or article which is marked with a Standard Mark;

(c) inspect any process, system or service at such premises in respect of which the certified body or licence holder has been granted a certificate of conformity or given the authority to use the Standard Mark;

(d) examine the records kept by the certified body or licence holder relating to the certificate of conformity or use of the Standard Mark;

(e) seize any such goods or articles or material or document which in his opinion will be useful, or relevant to any proceeding under the Act or under these rules.

49. Compensation for non-conforming goods. – (1) Where a certified body or license holder or his representative has sold goods, articles, processes, system or services, which bear a Standard Mark or any

colourable imitation thereof, which do not conform to the relevant standard, and where the Bureau decides that the certified body or license holder or his representative shall pay compensation under clause (b), of sub-section (7) of section 18 of the Act, then the compensation payable in such case shall be two times the selling price of the non-conforming goods, article, process, system or service, and the testing charges:

Provided that in case of precious metal article not conforming to the relevant standards, such compensation shall be two times the amount of difference calculated on the basis of shortage of purity for the weight of such article sold and the testing charges.

(2) Every application for compensation shall be made in the form as specified by the Bureau from time to time together with self-attested copies of relevant documents, including the test report of the goods, article, process, system or service in question, relevant to establish the non-conformance and such test report shall be issued by any laboratory maintained or recognised by the Bureau.

(3) The Head of the Regional office of the Bureau under whose jurisdiction the holder of licence or certificate of conformity falls, shall be the authority competent to decide the compensation:

Provided that the authority shall decide the application within sixty days of its filing.

Provided further that before passing any order under this sub-rule, an opportunity to file a statement of defence shall be afforded to the holder of licence or certificate of conformity to whom the application relates and an opportunity of personal hearing may also be given to both the sides, if the circumstances so deserve.

(4) In case the holder of licence or certificate of conformity fails or refuses to pay the amount of compensation, as provided under this rule, within a period of thirty days from the date of passing of the order, the Bureau may cancel the licence or certificate of conformity:

Provided that the period of thirty days may be extended by a maximum period of another thirty days by the authority, if an application revealing genuine hardship is preferred by the holder of licence or certificate of conformity.

(5) If the non-conformity to standard is established, the Bureau will carry out inspection of other samples of the product in the market or at the production site and initiate further action against the licensee as per the license conditions.

(6) Where the Bureau decides that a certified body or licence holder or his representative is liable for injury caused by non-conforming goods or article under clause (c) of sub-section (7) of section 18 of the Act, it shall communicate this decision to the certified body or licence holder or his representative and the certified body or licence holder or his representative shall take a decision on the compensation under section 31 of the Act within a period of two months of receipt of such communication.

50. Compounding of offences. – (1) Any offence committed for the first time punishable under the Act may either before or after the institution of any prosecution, be compounded by an officer so authorised by Director General:

Provided that the Director General shall authorise in writing, the Head of the Regional office or any other senior officer of the Bureau of equivalent rank, to be the compounding authority under this rule.

(2) Any person may either before or after the institution of prosecution, make an application in the form as specified by the Bureau with the approval of the Central Government from time to time to the compounding authority to compound the offences specified under section 33 of the Act.

(3) On receipt of an application under sub- rule (2), the compounding authority shall call for a report from the concerned branch office with reference to the particulars furnished in the application or any other information which may be considered relevant for examination of such application and a report shall be furnished by the branch office within a period of thirty days or within such extended period as may be allowed by the compounding authority, from the date of receipt of communication from the compounding authority.

(4) The compounding authority, after giving personal hearing to the applicant and after taking into account the contents of the said application may by order giving reasons of arriving at the decision, either allow the application indicating the compounding amount or reject such application:

Provided that the application shall not be rejected unless an opportunity has been given to the applicant of being heard and the grounds of such rejection are mentioned in such order.

Provided that the applicant shall not claim, as a matter of right, that his offence be compounded:

Provided further that no compounding shall be allowed by the compounding authority where there are apparent contradictions, inconsistencies or incompleteness in the case of the applicant.

(5) A copy of order passed under sub- rule (4) shall be sent to the applicant by registered post or speed post or by e-mail at the address given in the application and also be placed on the website of the Bureau.

(6) Where the prosecution has already been instituted, the compounding authority may bring the composition, including the compounding amount, to the notice of the court by filing appropriate application, and shall be bound by the decision of the court on such application.

(7) The applicant shall within a period of thirty days from the date of receipt of order under sub-rule (4) allowing the compounding of offences, or order of the court under sub-rule (6), pay to the Bureau the compounding amount as ordered to be paid by the compounding authority or the court, as the case may be, and shall furnish the proof of such payment to the compounding authority:

Provided that the compounding amount once paid shall not be refunded except in cases where the court rejects grant of immunity from prosecution for the same offence.

(8) The amount so compounded under this rule shall be as provided in the following table:

Sl. No.	Offence specified under the Act	Compounding amount
(1)	(2)	(3)
1	Sub-section (1) of section 29	fifty percent of the maximum and subject to minimum of twenty-five percent of the applicable fine.
2	Sub-section (2) of section 29	fifty percent of the maximum and subject to a minimum of one lakh rupees of the applicable fine.
3	Sub-section (3) of section 29	fifty percent of the maximum and subject to a minimum of two lakh rupees of the applicable fine.

(9) If the person has committed offences falling under more than one of the categories specified in the table in sub-rule (8), the amount so compounded, in such cases shall be the amount as determined for the offence for which a higher compounding amount has been prescribed.

51. Powers and duties of compounding authority. – (1) The compounding authority, if he is satisfied that any person who has made the application for compounding of offence under sub-rule (2) of rule 50 has cooperated in the proceedings before him and has made full and true disclosure of the facts relating to the goods, articles, process, system or service, grant such person immunity from prosecution under the Act, if the prosecution has not been instituted with respect to the case so compounded, subject to such conditions as the compounding authority may find fit to impose.

(2) The compounding authority shall endeavour to decide every application for compounding within sixty days of its filing.

(3) The compounding authority shall file before the Director General, a monthly report indicating the details of applications received by him and actions taken thereon.

[F. No. 6/1/2016-BIS]

ANIL BAHUGUNA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.06.30 15:49:34 +05'30'